Con. 3. 1.8.46
1000

अंक 1
संख्या 8

बुधवार
18 दिसम्बर
सन् 1946 ई.

भारतीय विधान-परिषद्

के

वाद-विवाद

की

सरकारी रिपोर्ट

(हिन्दी संस्करण)

विषय-सूची

पृष्ठ

कार्यक्रम 1

लक्ष्य-सम्बन्धी प्रस्ताव 5

भारतीय विधान-परिषद्

बुधवार, 18 दिसम्बर सन् 1946 ई.

कांस्टीट्यूशन हाल, नई दिल्ली में प्रातः 11 बजे माननीय डॉ. राजेन्द्र प्रसाद के सभापतित्व में असेम्बली की बैठक हुई।

कार्यक्रम

***सभापतिः** मुझे श्री मोहनलाल सक्सेना से एक नोट प्राप्त हुआ है, जिसमें मुझसे अनुरोध किया गया है कि मैं इस सम्बन्ध में एक वक्तव्य दूं कि रूल्स कमेटी ने अपने काम में कितनी उन्नति की है। मैं समझता हूं कि यदि वह वक्तव्य मैं आज दूं तो मेम्बरों को उससे अपना आगे का कार्यक्रम निश्चित करने में सहायता मिलेगी। हम उन मसविदों पर बहस करते रहे हैं जो पहले से तैयार हो चुके थे और हमने बहुत कुछ काम कर लिया है, लेकिन कुछ काम अभी बाकी है और आखिरी मसविदे को इस सभा में पेश करने के पहले रूल्स कमेटी को उस पर विचार करना होगा। मुझे आशा है कि हम लोग शुक्रवार तक इस काम को पूरा कर लेंगे और मैं मेम्बरों को रूल्स कमेटी के पास किये हुए नियमों को उनके अन्तिम रूप में शनिवार को दे सकूंगा ताकि अगले सोमवार को हम इस सभा में उन पर विचार कर सकें। सोमवार को 23 तारीख है और उसके बाद क्रिसमस की छुट्टियां हैं। मैं नहीं समझता कि हम एक दिन में नियमों को पूरा कर देंगे। उन्हें पूरा करने में कम-से-कम दो दिन या तीन दिन लगेंगे। अगर मेम्बर सहमत हों तो मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि हम लोग ता. 24 और 25 को क्रिसमस की छुट्टियां मनायें और उसके बाद असेम्बली की बैठक बराबर होती रहेगी। इसलिये ता. 26 और 27 को हम नियमों के बारे में बहस करेंगे और उसे ता. 27 तक खत्म कर देंगे, और यदि नियमों के बारे में कोई दूसरी बातें पैदा हो जायें तो उन पर बाद को विचार हो सकता है। मैं समझता हूं कि हमें इस प्रारंभिक अधिवेशन को बिना नियमों को बनाये हुए और बिना कुछ कमेटियों को बनाये हुए, जिनको बनाना इस अधिवेशन का उद्देश्य है, खत्म नहीं करना चाहिये। इस समय यह कार्यक्रम मैं आपके सामने रखता हूं। किन्तु सब कुछ सभा की इच्छा पर निर्भर है। चूंकि हमारे पास बहुत कम समय है। मेरे विचार में क्रिसमस के सारे हफ्ते में कुछ भी काम न करना हमारे लिये उचित न होगा। मैं चाहता हूं कि इस साल ता. 24 और 25 को हमें छुट्टी लेनी चाहिये।

---

*इस चिह्न का अर्थ है कि यह अंग्रेजी वक्तृता का हिन्दी रूपान्तर है।

***श्री एम. अनंतशयनम् आयंगर** (मद्रास : जनरल): हम चाहते हैं कि क्रिसमस के हफ्ते भर हम छुट्टी लें और उस समय के लिये यहां से वापस चले जायें और अगले साल के शुरू में फिर सम्मिलित हों।

***सभापतिः** यदि हम सिर्फ दो दिन की छुट्टियां ले, तो यह आशा नहीं की जा सकती कि मेम्बर अपने घरों को जा सकेंगे।

***माननीय पं. हृदयनाथ कुंजरू** (संयुक्तप्रांत : जनरल): सभापति महोदय, जब यह अधिवेशन शुरू हुआ था, तो हम में से बहुत से लोगों का यह विचार था कि यह क्रिसमस से पहले खत्म हो जायेगा और इसी को ध्यान में रखते हुए हमने कई काम निश्चित किये थे, जिनको पूरा करने में क्रिसमस का सारा हफ्ता लग जायेगा। मैं छुट्टियों के लिये बिलकुल भी नहीं कह रहा हूं। मैं भी छुट्टियां बिलकुल नहीं लेने के लिये तैयार हूं, लेकिन यदि यह अधिवेशन 23 दिसम्बर से आगे किया जाये तो चूंकि पहले से कुछ महत्त्वपूर्ण कामों को निश्चित कर लिया है, इसलिये हम में से बहुत से लोगों के लिये उसमें उपस्थित रहना सम्भव न हो सकेगा। इसलिये मैं आशा करता हूं कि इसके पूर्व कि आप यह निश्चय करें कि नियमों को पास करने और उन कमेटियों को बनाने के लिये जिनका हवाला आपने दिया है, कब विधान-परिषद् की बैठक हो, आप इन बातों पर कृपा करके विचार करेंगे।

***श्री धीरेन्द्रनाथ दत्त** (बंगाल : जनरल): सभापति महोदय, श्रीमान् ने अभी कहा कि 23 दिसम्बर को हमारे सामने नियम पेश किये जायेंगे और उन पर 26 तारीख को विचार होगा, लेकिन संशोधनों को पेश करने के लिये कुछ वक्त जरूरी है। मुझे मालूम नहीं है कि यहां क्या प्रथा है, किन्तु अन्य धारा सभाओं में कम से कम चार या पांच दिन का समय दिया जाता है। इस तरह 26 तारीख को नियमों पर विचार करना असंभव है और इस दशा में मैं समझता हूं कि यह उचित है कि हम लोग 2 जनवरी को सम्मिलित हों।

***माननीय रेवरेंड जे.जे.एम. निकोल्स राय** (आसाम : जनरल): सभापति महोदय, क्रिसमस की छुट्टियों का ईसाइयों के लिये बहुत महत्त्व है और आमतौर से हमें 24, 25, 26 और 27 तारीखों को छुट्टियां मिला करती हैं और यदि विधान-परिषद् की बैठक दूसरी और तीसरी जनवरी को हो तो हमें बहुत खुशी

होगी। उसके बाद हम जब तक चाहें अधिवेशन कर सकते हैं। लेकिन यदि हम इस साल 25 तारीख के बाद यानी क्रिसमस की छुट्टियों में अधिवेशन करें, तो उससे हमारे कई कामों में जिनको हमने क्रिसमस की छुट्टियों के लिये रख छोड़ा है, गड़बड़ पैदा हो जायेगी। श्रीमान्, मुझे इस सभा के सम्मुख इतना ही कहना है।

***श्री डी.पी. खेतान** (बंगाल : जनरल): श्रीमान्, आपके बताये हुये कार्यक्रम से विधान-परिषद् के मेम्बर जिस ढंग से सहमत नहीं हुए हैं उस पर मुझे आश्चर्य हुआ है। विधान-परिषद् के काम को हमें अन्य कामों की अपेक्षा तरजीह देनी चाहिये और जितनी जल्दी हो सके हमें काम खत्म कर देना चाहिये। हमें बिना जाब्ते के नियमों को पास किये हुए, जिनका कि बहुत महत्त्व है, अधिवेशन को खत्म न करना चाहिये। इसलिये श्रीमान्, आपके द्वारा मैं विधान-परिषद् के सभी मेम्बरों से अपील करता हूं कि वे अपने सब अन्य कामों को अलग रख दें और हमारे सामने जो महत्त्वपूर्ण काम है उसे तरजीह दें।

***श्री मोहनलाल सक्सेना** (संयुक्तप्रान्त : जनरल): सभापति महोदय, मैं यह सुझाव पेश करता हूं कि जाब्ते की कमेटी के काम में सहूलियत पैदा करने के लिये इस सभा की कल बैठक न हो लेकिन परसों दोपहर के बाद बैठक हो, ताकि कमेटी की पूरी रिपोर्ट हमको मिल सके और शनिवार से हम नियमों पर विचार कर सकें और यदि हो सके तो सोमवार को हम इस काम को खत्म कर दें।

***श्री आर.के. सिधवा** (मध्यप्रान्त और बरार : जनरल): मेरी राय में रिपोर्ट के अध्ययन के लिये और संशोधनों को पेश करने के लिये इस सभा को कुछ दिन मिलने चाहियें। अपनी पार्टी की बैठकों में भी हमें इन पर विचार करना होगा। इसमें भी दो तीन दिन लग जायेंगे। इस काम को दो या तीन दिन में खत्म करना सम्भव नहीं होगा जैसा कि श्री मोहन लाल सक्सेना का विचार है, इसलिए मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं कि हम 21 और 23 तारीख को कमेटी की रिपोर्ट पेश करने के बाद जनवरी की दूसरी और तीसरी तारीख को सम्मिलित हों।

***सभापति:** जनवरी के पहले सप्ताह में कुछ अन्य सार्वजनिक कार्य हैं, जिनके बारे में बहुत पहले घोषणा हो चुकी है। इसी कारण से मैं साल खत्म करने के पहले असेम्बली का काम पूरा करने के लिये चिंतित था। उदाहरणार्थ अगले साल

[सभापति]

दूसरी जनवरी से साइंस कांग्रेस शुरू हाने वाली है। सारे संसार के प्रमुख वैज्ञानिक उसमें आ रहे हैं और पंडित जवाहरलाल नेहरू को उसमें बहुत ही महत्त्वपूर्ण भाग लेना है। अन्य मेम्बरों को भी उसमें दिलचस्पी हो सकती है। इसी तरह दूसरे कार्यों की भी तिथि निश्चित है। इसलिये मुझे इसकी चिंता थी कि उन सार्वजनिक कार्यों में, जिनके बारे में पहले घोषणा हो चुकी है, कोई बाधा न डाली जाये और अपना काम जहां तक हो सके इस साल के अन्दर ही खत्म कर लिया जाये। नि:संदेह यह असेम्बली के मेम्बरों की इच्छा पर निर्भर है। यदि वे 23 तारीख के आगे अधिवेशन न करना चाहें तो हमें उस पर भी विचार करना होगा और अगले साल के लिये काम छोड़ना होगा। हमारे सामने जो कठिनाइयां हैं उन्हें मैंने आपको बता दिया है। जनवरी में एक कठिनाई और होगी। कुछ प्रांतीय असेम्बलियों की बैठकें होंगी।

***माननीय श्री पुरुषोत्तमदास टंडन** (संयुक्तप्रांत : जनरल): प्रांतीय असेम्बलियों के काम की यहां के काम के अनुसार व्यवस्था की जा सकती है।

***माननीय सरदार वल्लभ भाई पटेल** (मुंबई : जनरल): श्रीमान्, एक ऐसी सभा में जिसमें लगभग 300 महत्त्वपूर्ण मेम्बर हैं, सभी की सुविधा के अनुसार काम करना कठिन है। सभी प्रांतों में बजट अधिवेशन शुरू होने वाले हैं। केन्द्रीय असेम्बली का बजट अधिवेशन शुरू होने वाला है। सभी लोगों की सुविधा के अनुसार काम करना सम्भव नहीं है। यह राय ठीक ही दी गई है। विधान-परिषद् के काम को तरजीह दी जानी चाहिये। जब तक कि हम नियमों को पास न कर दें, हम विधान-परिषद् के काम को कुछ भी आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। बैठक खत्म करने के पहले हमें नियमों को समाप्त कर देना चाहिये और तब हम सभा को स्थागित कर सकते हैं। यह सम्भव है कि इस महीने में या जनवरी के पहले हफ्ते तक भी प्रारंभिक अधिवेशन समाप्त न हो, इसलिये तीसरी और चौथी जनवरी को बैठक करने का जो सुझाव दिया गया है, उस पर अमल नहीं हो सकता। चाहे हमको जितनी भी असुविधा हो, हमें नियमों को खत्म ही कर देना चाहिये, इसलिये जैसी कि सभापति महोदय की राय है, यदि नियम 23 तारीख को तैयार हो जायें, तो हमें 24 और 25 तारीखों को छुट्टी नहीं लेनी होगी, या 26 और 27 तारीख को आकर नियमों को समाप्त करना होगा। इसके बाद हम सभा स्थगित करने की तारीख तय कर सकते हैं। जब तक कि कार्यक्रम निश्चित न हो, हम अपने

काम को खत्म नहीं कर सकते हैं। इसलिये हमें अस्थायी रूप से कार्यक्रम निश्चित कर लेना चाहिये और उसके बाद दूसरी बातों पर विचार करना चाहिये।

***श्री के. सन्तानम्** (मद्रास : जनरल): मैं यह राय देना चाहता हूं कि नियम जैसे-जैसे तैयार होते जायें, असेम्बली में पेश किये जायें। हम सभी नियमों के पूरे होने तक क्यों रुकें? हम उन पर कल से या आज शाम से विचार कर सकते हैं मुझे आश्चर्य है कि कमेटी ने एक हिस्से का भी मसविदा तैयार नहीं किया है। हम एक-एक हिस्से पर विचार कर सकते हैं और उन्हें पास कर सकते हैं। जब वे पूरे हो जायेंगे तो हम भी अपना काम खत्म कर चुकेंगे।

***सभापतिः** मेरी राय में नियमों के एक-एक हिस्से पर विचार करना संभव नहीं है। हमें सभी नियमों पर एक साथ विचार करना होगा।

***माननीय श्री पुरुषोत्तमदास टंडनः** श्रीमान्, मेरी राय में हमें इसे दृष्टि में रखना चाहिये कि बहुत से मेम्बर क्रिसमस के सप्ताह के लिये कार्य निश्चित कर चुके हैं। अब हमसे यह कहने से कोई फायदा नहीं होगा कि हमें ये कार्य निश्चित नहीं करने चाहिये थे। मामूली तौर पर यह ख्याल किया जाता है कि क्रिसमस के सप्ताह में हमारे पास बहुत काम नहीं रहेगा। निःसंदेह यदि बैठक खत्म होने के पहले नियम पेश किये जायें, तो मेम्बर अपना कुछ समय उनको देंगे। उन्हें उन पर विचार करने के लिये कुछ समय देना चाहिये। जैसा कि बताया गया है, शायद पार्टियों को भी अपनी बैठकों में उन पर विचार करना है। श्रीमान्, मेरी राय में हमें क्रिसमस के सप्ताह में नियमों के प्रश्न को नहीं उठाना चाहिये। मेम्बरों को उन पर विचार करने, उनको समझने और संशोधन पेश करने के लिये काफी समय देना चाहिये। हम लोग जनवरी के पहले सप्ताह में कभी भी सम्मिलित हो सकते हैं।

***सभापतिः** अब हमने विभिन्न वक्ताओं के भाषण व उनके विचार सुन लिये हैं इन बातों पर विचार करने के बाद हम कल किसी निर्णय पर पहुँच जायेंगे। फिलहाल हम अपना काम शुरू करेंगे। हम अब प्रस्ताव और संशोधनों पर विचार करेंगे।

लक्ष्य संबंधी प्रस्ताव—(गत संख्या से आगे)

***माननीय रेवरेंड जे.जे.एम. निकोल्स रायः** सभापति महोदय, इस प्रस्ताव पर बोलने के लिये श्रीमान् ने मुझे जो अवसर दिया है उसके लिये मैं आपको धन्यवाद

[माननीय रेवरेंड जे.जे.एम. निकोल्स राय]

देता हूं। मैं पंडित नेहरू द्वारा पेश किये हुए प्रस्ताव का पूरे बल से समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। इस प्रस्ताव में वे सभी सिद्धांत निहित हैं, जो इस सभा में पेश होने वाले इस प्रकार के प्रस्ताव में होने चाहिये। सबसे पहले इसमें उस उद्देश्य को बताया गया है, जो हिन्दुस्तान में सभी के दिमाग में है, यानी किसी निश्चित तिथि को हिन्दुस्तान की आजादी की घोषणा कर देना। इस सभा में हमने यह निश्चय किया है कि हम हिन्दुस्तान की स्वतंत्रता की घोषणा करेंगे और अपने मस्तिष्क में हमने दृढ़ निश्चय किया है कि हम हिन्दुस्तान की आजादी हासिल करेंगे। हिन्दुस्तान में हर एक शख्स की यही इच्छा है। मैं समझता हूं कि हिन्दुस्तान के किसी भी कोने में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो इस प्रकार के उद्देश्य के विरुद्ध हो। इसके अलावा इसमें इसकी भी घोषणा है कि वह एक ऐसे गणतंत्र या लोकतंत्र शासन का विधान होगा जिसमें लोग स्वयं लोगों के लिये शासन करेंगे। नि:संदेह हिंदुस्तान के सभी लोगों की यही इच्छा है। यह सच है कि हिंदुस्तान में कुछ राजतंत्र हैं, किन्तु हम उस समय की प्रतीक्षा कर रहे हैं जब कि ये सब राजतंत्र कम से कम पूर्णतया वैधानिक राजतंत्र हो जायेंगे, जैसे कि इंग्लैंड का राजतंत्र है और मेरा विश्वास है कि देशी रियासतों के लोग भी इसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं कि उनके यहां भी लोकतंत्रशासन स्थापित हो जायेगा। इसलिये इस प्रस्ताव में जो घोषणाएं हैं उनके विरुद्ध कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। इसके अलावा इसमें उन क्षेत्रों का उल्लेख है जो भारतीय संघ में शामिल किये जायेंगे और यह काफी विस्तृत है। इसके अलावा तीसरे पैराग्राफ में स्वतंत्र प्रदेशों का उल्लेख है—वे स्वतंत्र प्रदेश जो वर्तमान सीमाओं के अंदर स्वतंत्र हैं या उन सीमाओं के अंदर स्वतंत्र होंगी जो बाद को निश्चित की जायेंगी। इन प्रदेशों या क्षेत्रों के अपने अवशिष्ट अधिकार होंगे और वे, उन अधिकारों के अलावा जो केन्द्रीय सरकार के हों, सभी शासन सम्बन्धी अधिकारों को प्रयोग में लायेंगे। यह हमारी इच्छा है और यही इस देश के सभी लोगों की इच्छा है। हमारा यह उद्देश्य है कि हर एक प्रांत स्वतंत्र होगा। श्रीमान्, इस सम्बन्ध में मैं यह कहना चाहता हूं कि यह बड़े दुर्भाग्य की बात हुई कि मंत्रिमंडल की घोषणा में सेक्शनों का विचार प्रकट किया गया और श्रीमान्, सम्राट की सरकार ने हाल में जो व्याख्या की है उसके अनुसार किसी सेक्शन में हर प्रांत को अन्य प्रांतों के बहुसंख्यक मेम्बरों के बहुमत का सामना करना पड़ेगा। मैं विशेषतया सेक्शन 'सी' के बारे में कह रहा हूं जिसका सम्बन्ध आसाम से है। आसाम गैर-मुस्लिम प्रांत है। विधान-परिषद्

में आसाम के 7 गैर-मुसलमान प्रतिनिधि हैं और 3 मुसलमान प्रतिनिधि हैं। मुझे खेद है कि मेरे मुसलमान मित्र इस असेम्बली में मौजूद नहीं हैं। मेरी इच्छा थी कि वे यहां होते। श्रीमान्, बंगाल के 27 गैर-मुसलमान और 33 मुसलमान प्रतिनिधि हैं। अगर हमको एक ही सेक्शन में सम्मिलित किया जाये, तो 36 मुसलमान और 34 गैर-मुसलमान प्रतिनिधि होंगे और यदि उस भाग में बहुमत से वोट लिया जाये—सीधी तौर पर बहुमत से वोट, जैसी कि श्रीमान्, सम्राट की सरकार की व्याख्या है—तो इसका अर्थ है कि हमारा विधान, हमारे आसाम का विधान, बंगाल के लोगों के बहुमत से बनेगा, यानी मुस्लिम लीग द्वारा बनेगा। श्रीमान्, हम नहीं समझते कि इससे भी अधिक अन्याय हो सकता है। *(हर्षध्वनि)* यह एक ऐसा विषय है, जिस पर इस विधान-परिषद् के सभी मेम्बरों को विचार करना चाहिए। जब मंत्रिमंडल ने अपनी घोषणा की तो हम आसाम निवासियों ने समझा कि आगे चलकर इस तरह की व्याख्या भी की जा सकती है। लेकिन हमने इस पर विश्वास किया कि मंत्रिमंडल इतनी अनुचित बात नहीं करेगा कि आसाम को, जो एक गैर-मुस्लिम प्रांत है, एक मुस्लिम प्रांत के आधीन रख दे और यह कि हमारे विधान को हमारे सेक्शन के मेम्बरों के बहुमत से बनाने दे। हमने कभी भी यह नहीं सोचा कि ऐसा होगा, क्योंकि हमने विचार किया कि आसाम के लोगों को इस स्थिति में रखना उनके प्रति अन्याय होगा। जून सन्, 1946 ई. में हमने शिलांग में एक सार्वजनिक सभा की। मैं उस सभा का सभापति था, हम लोग मंत्रिमंडल की घोषणा पर बहस कर रहे थे और उस सभा में मैंने यह कहा था:

> ''मंत्रिमंडल की घोषणा के पैराग्राफ 15 (5) से मैं यह समझता हूं कि मंत्रिमंडल ने जिस समूह का सुझाव किया है, उसको बनाने या न बनाने की हर एक प्रांत को स्वतंत्रता होगी। दूसरे यह कि स्वतंत्र प्रांतों का यह समूह इसलिये बनाया जायेगा कि वह यह तय करे कि कौन से ऐसे पारस्परिक विषय हैं, जो समूह को सौंपे जायें। तीसरे यह कि यदि कोई प्रांत ऐसे विषयों को सौंपने के लिये सहमत नहीं होता है, जिनका उसके लिये बहुत महत्त्व है, तो कोई ऐसा समूह-विधान नहीं होगा, जिसकी सिफारिश घोषणा के पैराग्राफ 19 (5) में की गई है। चौथे यह कि यदि समूह में बहस के दौरान में किसी प्रांत के लिये इस प्रश्न को हल करना असंभव हो जाये, तो उसका हल उससे दूसरे प्रांत के मेम्बरों के बहुमत से बलपूर्वक स्वीकार नहीं कराया जायेगा। पांचवें यह कि पूरा प्रश्न विधान-परिषद् के सामने रखा जायेगा और उसको उस पर अंतिम निर्णय करने का अधिकार होगा।''

[माननीय रेवरेंड जे.जे.एम. निकोल्स राय]

मंत्रिमंडल की घोषणा का हमने यह आशय समझा और श्रीमान्, मुझे विश्वास है कि उस समय कांग्रेस का भी यही दृष्टिकोण था। सरदार वल्लभभाई पटेल ने हाल में यह घोषित किया है कि कांग्रेस ने इस समय तक श्रीमान्, सम्राट की सरकार की व्यवस्था को स्वीकार नहीं किया है और उसे देखकर मुझे बड़ा हर्ष हुआ। श्रीमान्, हमारा अब भी वही मत है। मुझे यह दिखाई देता है कि ब्रिटिश मंत्रिमंडल का अब वह विचार नहीं है जो उसका उस समय था जब कि वह हिन्दुस्तान में था। जब वे लोग हिन्दुस्तान में थे तो उस समय उनको कुछ परिस्थितियों का सामना करना पड़ा था और उन पर यहां के लोगों के मत का प्रभाव पड़ा था। इंग्लैंड वापिस जाने पर उनके सामने दूसरी परिस्थितियां हैं और वे कंजरवेटिव पार्टी से प्रभावित हुये हैं। मि. जिन्ना ने भी उनके दिमागों पर जोर डाला है। उन्होंने अपना विचार बिलकुल बदल दिया है, मुझे तो यही दिखाई देता है। मैं लार्ड पैथिक लारेंस से जानना चाहता हूं कि क्या मंत्रिमंडल के मस्तिष्क में, जब यह हिन्दुस्तान में था, वास्तव में यही विचार था। उनकी घोषणाओं में और उनके लेखों में कहीं भी इसका उल्लेख नहीं था कि सेक्शनों में सीधे-सीधे बहुमत का वोट निर्णयकारी होगा। एक गैर-मुस्लिम प्रांत को बलपूर्वक एक मुस्लिम प्रांत के आधीन लाने का सिद्धांत बिलकुल गलत है। मि. जिन्ना ने श्रीमान्, सम्राट की सरकार को इसके लिये मजबूर कर दिया है कि वह हमारे प्रांत के प्रति यह अन्याय करे और श्रीमान्, हम समझते हैं कि इस आदरणीय सभा की हमारे साथ सहानुभूति होगी और हमें इसकी सहायता प्राप्त होगी ताकि हमारा प्रांत उस दयनीय दशा को प्राप्त न हो। मैं चाहता हूं कि मि. जिन्ना और लीग के मेम्बर यहां उपस्थित हों और मेरी इच्छा है कि वे हिन्दुस्तान का विधान बनाने में हाथ बंटायें। मैं उनसे व दूसरे सभी लोगों से आशा करता हूं कि वे न्याय करेंगे। मैं उनसे इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं चाहता कि वे सज्जनों का व्यवहार करें और न्याय करें। हर कोई जानता है कि हमको बलपूर्वक उस स्थिति में रखना अन्याय है जो कि श्रीमान् सम्राट की सरकार की हाल की व्याख्या से हमारे सामने उपस्थित है। हमारा प्रांत एक स्वाधीन प्रांत है और वह एक गैर-मुस्लिम प्रांत है। हमको एक ऐसे सेक्शन में जाने के लिये क्यों मजबूर किया जा रहा है जो आसाम को बहुमत से हरा सकता है और कृत्रिम बहुसंख्यकों की इच्छानुसार विधान बना सकता है। श्रीमान्, यह कहा जा सकता है कि इससे तुरंत ही ब्रिटिश सरकार और इस विधान-परिषद् के बीच कलह उठ खड़ा होगा। यह जरूरी नहीं है। किसी महाशय ने कहा था कि मई 16 की घोषणा की परिधि के बाहर जाना और दूसरी व्याख्या करना

क्रांतिकारी होगा। इस विधान-परिषद् को इस तरह का रुख दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। मेरा विश्वास है कि हम लोग मैत्री का रुख दिखा सकते हैं। हम ब्रिटिश सरकार से कहेंगे ''आपने हिन्दुओं और मुसलमानों के बीच समझौता करने के लिये जो प्रयत्न किये उनके लिये हम आपको धन्यवाद देते हैं। आपने हमें बहुत अच्छी सलाह दी है और आपने बहुत अच्छी सिफारिशें भी की हैं लेकिन जब कभी हम यह समझें कि आपकी किसी सिफारिश को अक्षरश: प्रयोग में लाना अव्यावहारिक या अन्यायपूर्ण है तो जिम्मेदार लोग होते हुए हमें इसकी स्वतंत्रता होगी कि हम उसकी परिधि के बाहर चले जायें। हम एक ऐसा विधान बनायेंगे जिसमें सभी अल्पसंख्यकों के प्रति न्याय होगा और किसी भी जाति की उपेक्षा नहीं की जायेगी। यदि मुस्लिम लीग के मेम्बर सहयोग करेंगे तो हम उनका हृदय से स्वागत करेंगे। जब हम विधान बना चुकेंगे तो सारे हिन्दुस्तान को यह देखने का अवसर मिलेगा कि इस विधान-परिषद् ने किस तरह का विधान बनाया है। हम आपसे, ब्रिटिश सज्जनों से, प्रार्थना करते हैं कि आप पार्लियामेंट में ऐसे भाषण न दें जिनसे यह प्रकट हो कि हिन्दुस्तान में क्रांतिकारी कार्यवाही हो रही है। कृपा करके जब तक हम अपना काम खत्म न कर लें हमारे साथ सहयोग कीजिये और तब उस पर अपना निर्णय दीजिये।'' तभी ब्रिटिश सरकार को यह देखने का अवसर मिलेगा कि उस असेम्बली ने किस तरह का विधान बनाया है। तभी वे कह सकते हैं और इससे पहले नहीं कह सकते हैं कि इस विधान-परिषद् ने किसी जाति या मुसलमानों के प्रति न्याय किया है या अन्याय। हमें अवश्य ही इसकी आशा है कि मुस्लिम जाति के लोग यहां आयेंगे और हिन्दुस्तान का विधान बनाने में योग देंगे। सबसे अधिक मुझे इसकी इच्छा है कि वे लोग यहां आयें। मुस्लिम लीग के कुछ मेम्बर मेरे बड़े मित्र हैं और मैं चाहता हूं कि वे लोग यहां आयें और इस असेम्बली के साथ सहयोग करें।

अब मैं इस प्रस्ताव के दूसरे हिस्से पर आता हूं, यानी पैराग्राफ 5 पर, और उस पर विचार प्रकट करने के पहले मैं एक दूसरी बात की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं। मेरा यह विचार है कि स्वाधीन प्रांतों में से हर एक प्रांत में ऐसे प्रदेश होंगे जो स्वशासित और प्रांत से सम्बद्ध होंगे। आसाम जैसे प्रांत के लिये नि:संदेह यह आवश्यक होगा।

अब पैराग्राफ 5 के बारे में मुझे यह कहना है कि इस पैराग्राफ में न्याय और स्वतंत्रता के सम्बन्ध में आदेश है। सबको यह आश्वासन दिया जाता है कि

[माननीय रेवरेंड जे.जे.एम. निकोल्स राय]

उनके प्रति सामाजिक न्याय होगा और आर्थिक और राजनैतिक क्षेत्र में भी न्याय होगा। राजनैतिक न्याय का अर्थ नि:संदेह यह होगा कि हर एक जाति का धारा सभाओं में और इस देश के शासन-प्रबन्ध में प्रतिनिधित्व होगा। इसलिये किसी जाति को इसका भय न होना चाहिये कि यह विधान-परिषद् उनके हितों की रक्षा नहीं करेगी।

इसके अलावा इसमें विचार, भाषा, धर्म और पूजा की स्वतंत्रता का उल्लेख है। इस देश में कुछ दलों ने यह प्रचार किया है कि जब हिन्दुस्तान में स्वशासन हो जायेगा तो कुछ धर्मों के लोगों को अपने धर्मों को फैलाने की स्वतंत्रता नहीं होगी। यह वास्तव में झूठा प्रचार है। इस प्रस्ताव द्वारा यह घोषित कर दिया गया है कि ऐसा नहीं होगा। हिन्दुस्तान के विधान में इस सम्बन्ध में आदेश होंगे कि सभी धर्मों के अनुयाइयों को स्वतंत्रता है और उन्हें अपने धर्मों को जिस प्रकार भी वे चाहें फैलाने की स्वतंत्रता है। मुझे यह देखकर विशेष रूप से प्रसन्नता हुई है कि इस पैराग्राफ में कानून और सार्वजनिक नैतिकता को ध्यान में रखते हुए मिलने-जुलने और काम करने की स्वतंत्रता का भी उल्लेख है। यह आवश्यक है कि सरकार सार्वजनिक नैतिकता की रक्षा करे और यह भी आवश्यक है कि सदाचार को ऊंचा उठाया जाये। सदाचार से राष्ट्र ऊंचा उठता है, लेकिन पाप किसी भी जनसमाज के लिये निन्दनीय है।

इस प्रस्ताव की अन्य बातों पर भी मैं बोलना चाहता हूं। लेकिन मैं समझता हूं कि यह अनावश्यक है। हमारे सामने कई कठिनाइयां और रुकावटें हैं। हिन्दुस्तान इस तरह की कठिनाइयों से अछूता नहीं रह सकता है। कैनेडा, आस्ट्रेलिया और संयुक्त राष्ट्र अमरीका भी जब अपने विधान बना रहे थे तो उन्हें भी ऐसी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था और इन देशों के कुछ भागों ने शुरू में विधान बनाने में भाग नहीं लिया; यद्यपि वे बाद को सम्मिलित हो गये। यहां हिन्दुस्तान में भी वही बात हो सकती है। हमें विधान-निर्माण का काम करते रहना होगा और फिर जब वह दुनिया के सामने और इस देश के सामने रखा जायेगा तभी इसका अवसर होगा कि ब्रिटिश सरकार कहे कि यह विधान उनकी घोषणा के अनुसार नहीं बनाया गया है। इसके पहले उन्हें पहले से इसका निर्णय करने का प्रयास न करना चाहिये कि यह विधान-परिषद् क्या करेगी और ऐसा करके हमारे काम में बाधा न डालनी चाहिये।

***सभापति:** माननीय मेम्बर ने अपने समय से अधिक समय ले लिया है।

***माननीय रेवरेंड जे.जे.एम. निकोल्स रायः** मैं केवल एक बात और कहना चाहता हूं जो मुझे वाइकाउंट साइमन के उस भाषण से सूझी है जो उन्होंने लार्ड्स सभा में दिया था। वाइकाउंट साइमन का कहना है कि यदि यह विधान-परिषद् हिन्दुस्तान के लिये विधान बनाने का काम करती रहे तो यह हिन्दुस्तान के लिये 'हिन्दूराज' की धमकी होगी। इन शब्दों को आज एक अखबार में देखकर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। जब मैं पश्चिमी देशों में था—इंग्लैंड और अमरीका में—तो मैंने यह देखा कि उन देशों में कुछ लोगों का यह विचार था कि हिन्दू एक ऐसा मनुष्य है, जो वर्ग-व्यवस्था से जकड़ा हुआ है और जो गाय की पूजा करता है। यदि वाइकाउंट साइमन हिंदूराज की ओर इसी विचार से संकेत करते हैं, यानी इस विचार से कि हिन्दुस्तान के लोग वर्ण-व्यवस्था बनाये रखने के लिये और गाय की पूजा करने के लिये मजबूर किये जायेंगे, तो उनका विचार बिलकुल गलत है। यदि जो लोग यहां सम्मिलित हुए हैं वे—चाहे वे हिन्दू हों या मुसलमान; ईसाई हों या किसी दूसरे धर्म के अनुयायी—एक ऐसा विधान बनायें, जो लोकतंत्रात्मक हो, जिसमें हर एक के प्रति न्याय हो तो मेरी समझ में नहीं आता कि वह विधान 'हिन्दू राज' का विधान क्यों कहा जाये। और यदि 'हिन्दू' शब्द से हिन्दुस्तान के रहने वाले लोग समझे जायें तो निश्चय ही हमारा विधान हिन्दुस्तान के लोगों के लिये होना चाहिये। यही वास्तव में हम चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हिन्दुस्तान के लोग एक विधान बनायें। लेकिन अगर हिन्दुस्तान के कुछ लोग इस समय विधान-निर्माण के कार्य में सम्मिलित होना नहीं चाहते हैं तो वे बाद को उसमें सम्मिलित हो जायेंगे और मैं समझता हूं कि एक ऐसा समय आयेगा, जब वे सब विधान बनाने के काम में हाथ बंटायेंगे और हिन्दुस्तान को एक मुल्क बनायेंगे—एक संयुक्त देश जिसका कि शासन एक ही प्रजातंत्रात्मक सरकार करेगी। मुझे विश्वास है कि ईश्वर से प्रार्थना करने से ये सब रुकावटें दूर हो जायेंगी। हमें महात्मा गांधी—अपने बापू जी—का अनुकरण करना चाहिये और ईश्वर से प्रार्थना करनी चाहिये। हमें ईश्वर से यह प्रार्थना करनी चाहिये कि हमारे रास्ते से ये सब रुकावटें दूर हो जायें और यह कि हम एक ऐसा विधान बनाने का काम कर सकें जो हमारे सारे देश के लिये कल्याणकारी हो।

श्री आर.के. सिधवाः सभापति महोदय, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने स्वतंत्र भारत का विधान बनाने की जो मांग की थी, वह अब पूरी हो गई है। हम यहां हिन्दुस्तान का विधान बनाने के लिये सम्मिलित हुए हैं और हमें विश्वास है कि चाहे मुस्लिम

[श्री आर.के. सिधवा]

लीग के हमारे मित्र, जिनका हम स्वागत करते हैं और जिनके बारे में इतने वक्ता कह चुके हैं कि उन्हें खेद है कि वे उपस्थित नहीं हैं, आयें या न आयें और चाहे अंग्रेजों ने पिछले चार या पांच दिनों के बीच कामन्स-सभा और लार्ड्स-सभा में कितनी ही धमकियां दी हों, हम अपना काम करते रहेंगे और एक विधान बनायेंगे और कोई मजाल नहीं कि वे उसे प्रयोग में न लायें। यदि अवसर आने पर वे उसे प्रयोग में लाना उचित न समझें तो हम जानते हैं कि उसे किस प्रकार प्रयोग में लायेंगे। श्रीमान्, यदि हिन्दुस्तान से गरीबी दूर करनी है और इस देश के लोगों को सुखी बनाना है तो हमारे विधान की इमारत समाजवादी सिद्धांतों की बुनियाद पर खड़ी की जानी चाहिये और मुझे विश्वास है कि जब यह विधान पूरा हो जायेगा तो इसका इस देश में व बाहर स्वागत होगा। कई बार अल्पसंख्यकों के सवाल के बारे में बड़ा बखेड़ा उठाया गया हैं श्रीमान् इस विधान को बनाने में हर प्रकार की न्यायोचित सुरक्षा और सभी के हितों पर विचार किया जायेगा। लेकिन मेरी समझ में नहीं आता कि इस प्रश्न को इतनी प्रधानता क्यों दी गई है। इस प्रस्ताव में भी पैराग्राफ 3 में आप देखेंगे कि बिना किसी के कहे हुए हमने किस प्रकार अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा की है। पैराग्राफ 4 अवशिष्ट अधिकारों के सम्बन्ध में है, जिसको हमने स्वीकार कर लिया है और वह इसलिये नहीं कि ब्रिटिश प्रतिनिधिमंडल ऐसा चाहता है। श्रीमान्, जैसा कि आपको ज्ञात है कई वर्षों से कांग्रेस इस विषय पर विचार कर रही थी और मुस्लिम लीग के लोगों के भय को दूर करने के लिये अगस्त सन् 1942 ई. में हमने यह निर्णय किया था कि प्रांतों के अवशिष्ट अधिकार होने चाहिये। हम लोगों में से बहुत से लोगों को आज तक भी यह पसंद नहीं है कि प्रांतों के अवशिष्ट अधिकार हों। हम लोग एक शक्तिशाली केन्द्रीय सरकार चाहते हैं। यदि इस सभा का या देश का स्वतंत्र रूप से इस बारे में मत लिया जाये कि प्रांतों को अवशिष्ट अधिकार दिये जायें या नहीं तो वे विरोध में ही अपना मत प्रकट करेंगे। किन्तु केवल इसलिये कि हम मुस्लिम लीग के काल्पनिक या वास्तविक भय को दूर करना चाहते हैं और हम उनके विचारों का आदर करते हैं, हमने यह स्वीकार कर लिया है कि प्रांतों को अवशिष्ट अधिकार दिये जायेंगे। क्या मैं यह पूछ सकता हूं कि अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा के लिये कौन आगे बढ़ा? कांग्रेस और बहुसंख्यक जाति ही ने कहा कि प्रांतों के अवशिष्ट अधिकार होंगे। चाहे लीग के लोग यहां हैं, या नहीं हैं, कांग्रेसियों की हैसियत से हम अपने निश्चय से

नहीं डिगेंगे। हम पीछे हटना नहीं चाहते चाहे मुस्लिम लीग यह प्रतिज्ञा करते समय मौजूद रहना पसन्द न करे। अपनी इच्छा के विरुद्ध भी हम अपने निश्चय के अनुसार कार्य करेंगे। यह केवल एक उदाहरण है, जिसे मैं अंग्रेजों के सामने रखना चाहता हूं ताकि उनकी समझ में आ जाये कि हम अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा करने के लिये कितने सचेष्ट हैं। किन्तु यदि आप अनुचित मांग करें तो बहुसंख्यक जाति के लिये यह सम्भव नहीं है कि वह अल्पसंख्यक जाति हो जाये। प्रांतों की सरहदें ठीक करने का हवाला इस पैराग्राफ में ही है। मेरी यह पक्की धारणा है कि वर्तमान प्रांतों की सरहदें ठीक की जानी चाहिये। आजकल के प्रांत बिना सोच-विचार के और जिस बेमेल ढंग से बनाये गये हैं उसमें तुरंत परिवर्तन करने की आवश्यकता है। सिंध प्रांत का निवासी होने के नाते मैं जानता हूं कि दस वर्ष पहले जब हमें बंबई प्रांत से अलग किया गया था, तो हमें भारत सरकार का 22 करोड़ रुपये का ऋण चुकाना था। सात वर्ष में हमने वह ऋण चुकाया। मैं इस विषय में कुछ नहीं कहना चाहता हूं कि अलग होने से हमें क्या फायदा हुआ है और क्या नुकसान, मगर मैं यह कहूंगा कि यह पैराग्राफ मुसलमानों की भावनाओं का आदर करते हुए बहुत सोच समझ कर लिखा गया है; ताकि सेक्शनों में बैठने के पहले वर्तमान प्रांतों पर विचार हो सके। यदि हम स्वतंत्र होते तो मैं इस संशोधन को पेश करता कि प्रांतों की सरहदें तुरंत ही ठीक की जायें और सरहद ठीक करने को एक समिति तुरंत ही नियुक्त की जाये और उसके बाद विधान बनाया जाये। परंतु इस सम्बन्ध में भी हम अपने इस वादे को पूरा करना चाहते हैं कि मई 16 को घोषणा के अंतर्गत हम सेक्शनों में बैठेंगे। मैं इन बातों की ओर इसलिये संकेत कर रहा हूं कि संसार यह जान जाये कि उस बाधा की ओर ध्यान न देते हुए जो प्रतिदिन कामन्स-सभा और लार्ड्स-सभा की सलाहों और आज्ञाओं से होती है व उन दुष्टतापूर्ण भाषणों से होती है जिन्हें अंग्रेज आज दे रहे हैं, हम अपने न्यायोचित कर्त्तव्य का पालन कर रहे हैं हम इस तरह के प्रचार को सहन नहीं कर सकते जिसने झूठ-मूठ अल्पसंख्यकों का सवाल और सांप्रदायिक कलह का भय खड़ा किया है। जब प्रतिनिधिमंडल आया तो उसका रुख दूसरा था, क्योंकि राजनैतिक बलवे हो रहे थे। सेना, सामुद्रिक सेना और हवाई सेना ने उनके आने के पहले विद्रोह किया था। वह एक राजनैतिक बलवा था। श्रीमान्, हिन्दुस्तान की ऊंची नौकरियों के लोग अब यह समझने लगे हैं कि उनके दिन ढल चुके हैं। वे साम्प्रदायिक कलह से खूब फायदा उठा रहे हैं। चूंकि

[श्री आर.के. सिधवा]

साम्प्रदायिक तनातनी है, इसलिये ब्रिटिश मंत्रिमंडल उन बातों पर अमल नहीं करना चाहता जो उसने यहां रह कर कही थी। ब्रिटिश सरकार ने हमसे कहा है कि यदि हम वाक्यखंड 15 की उनकी व्याख्या के अनुसार विधान न बनायेंगे तो अल्पसंख्यक जाति उसको स्वीकार करने के लिये मजबूर नहीं की जायेगी। मैं एक अल्पसंख्यक जाति का सदस्य हूं, मेरी जाति बहुत ही अल्पसंख्यक है और तुलनात्मक दृष्टि से उसका कुछ भी महत्त्व नहीं है। लेकिन उस जाति को, चाहे वह सिर्फ एक लाख पारसियों की है, सारा संसार जानता है। जैसा कि इस प्रस्ताव का समर्थन करते हुए बाबू पुरुषोत्तमदास टंडन ने कहा, पूर्वकाल में इस देश में जो कोई भी आया उसका स्वागत किया गया। 1300 वर्ष पूर्व, जैसा कि इतिहास बतलाता है, जब हम ईरान से निकाल दिये गये और तीन महीने तक समुद्र में भ्रमण करते रहे, तो सिवाय गुजरात में संजान के जधवा राना के हमें और किसी ने शरण नहीं दी। हम सब उनके कृतज्ञ हैं। जब से हम यहां रहे हैं, हमें हिन्दू जाति से कोई शिकायत नहीं रही है। पारसियों ने राजनीति और सामाजिक व औद्योगिक कार्यों में प्रमुख भाग लिया है। भारतीय कांग्रेस की जिन लोगों ने नींव डाली, उनमें एक महान पुरुष दादाभाई नौरोजी भी थे। *(हर्षध्वनि)* सन् 1909 ई. में कलकत्ता में सभापति के पद से भाषण देते हुए उन्होंने ''स्वराज'' का शब्द गढ़ा था। जहाज बनाने और कपड़े के धंधों में पारसी अगुआ रहे हैं। उन्हीं लोगों न पहले-पहल स्त्री-शिक्षा का प्रचार किया और अस्पताल इत्यादि जैसी खैराती संस्थाएं खोलीं जिनमें जात-पात का कुछ भी भेद नहीं रखा। हाल में केवल 37 वर्ष पहले टाटा परिवार ने लोहे और फौलाद का धंधा ऐसे पैमाने में चलाया कि इस समय संसार में उसका दूसरा स्थान है। मैं यह सब कुछ अपनी जाति की प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिये नहीं कह रहा हूं; मैं सिर्फ यह दिखाना चाहता हूं कि बहुसंख्यक जाति ने हमको कभी नहीं भुलाया और हम भी अपना योग देने में पीछे नहीं रहे। अपने लिये अलग निर्वाचन-समूह की मांग करने के लिये अंग्रेजों ने हम पर जोर डाला। हमने इससे इन्कार कर दिया। साधारण निर्वाचन-समूह में हमारी जाति के हित सुरक्षित हैं। मुझे एक मिसाल मालूम है जिससे यह ज्ञात होगा कि किस प्रकार 30 वर्ष पूर्व अलग-अलग निर्वाचन-समूह बनाने के लिये जोर डाला गया और यह शरारत इसलिये की गई कि इस देश में ब्रिटिश राज बना रहे। सिंध में हमारे यहां म्युनिसिपल और डिस्ट्रिक्ट बोर्डों में साधारण प्रतिनिधित्व था। साम्प्रदायिक

प्रतिनिधित्व नहीं था। उस समय के सिंध के कमिश्नर ने कुछ मुसलमानों को चुपचाप गवर्नमेंट हाउस बुलाया और उनसे कहा, ''आप हमें अलग निर्वाचन-समूहों के लिये एक प्रार्थनापत्र दीजिये और इसकी सिफारिश मैं बम्बई के गवर्नर से कर दूंगा। इस तरह का प्रतिनिधित्व मंजूर कर दिया गया और तब से हमारी सिंध की म्युनिसिपैलिटी में अलग-अलग निर्वाचन-समूह हैं। इस प्रकार हमने अपनी आंखों देखा है कि किस तरह अंग्रेजों ने एक जाति को दूसरी जाति के विरोध में खड़ा करने की दृष्टता की है। पारसियों से कई बार अपने लिये अलग निर्वाचन-समूह की मांग करने के लिये कहा गया। हमने इन्कार कर दिया और कहा, ''हम अपनी बहुसंख्यक जाति के साथ पूर्णतया सुरक्षित हैं''। इस असेम्बली में ही बहुसंख्यक जाति की भलमंसाहत को देखिये। हम सब लोग उनकी वोटों से चुने गये हैं क्या मैं यह कह सकता हूं कि जो लोग हमारे इच्छित उद्देश्य के विपरीत रहे हैं वे भी बहुसंख्यक जाति द्वारा निर्वाचित किये गये हैं। हम किसी को अपना शत्रु नहीं समझते, भले ही उसने हमारे विचारों का, हमारी मांग का, विरोध किया हो। मेरा मतलब ऐंग्लो-इंडियनों से है। लेकिन हमने उनको भी निर्वाचित किया है। इस उदारता की हर एक को प्रशंसा करनी चाहिये। यदि अंग्रेजों का उद्देश्य पहले की तरह शरारत करना नहीं है तो वे किस तरह की सुरक्षा चाहते हैं? लेकिन मैं ब्रिटिश सरकार से कहना चाहता हूं कि अब वह समय आ गया है जब कि उन्हें उस दुष्टतापूर्ण प्रचार से कुछ भी सहायता नहीं मिल सकती जो वे जानबूझ कर विधान-परिषद् के काम में बाधा डालने के लिये कर रहे हैं। हम अपना काम जारी रखेंगे, चाहे जितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़े और चाहे जितनी रुकावटें व अड़ंगे आये दिन और खास तौर से इस समय लगाये जायें, हम अपना काम करते रहेंगे। सर स्टेफोर्ड क्रिप्स या भारत-मंत्री ने मि. जिन्ना से यह नहीं कहा कि ''आपके कहने पर उस खास वाक्यखंड की व्याख्या कर दी गई है और आपको पाकिस्तान का प्रचार खत्म कर देना चाहिए''। मंत्रिमंडल ने बहस की और जांच की और वे इस निर्णय पर पहुँचे हैं कि पाकिस्तान न तो व्यावहारिक है और न उसको स्थापित करना ठीक ही है। इसलिए यह सवाल हमेशा के लिये दफना दिया गया है। इसके बावजूद क्या आपने मि. जिन्ना से एक शब्द भी इस आशय का कहा है कि उन्हें पाकिस्तान के बारे में खतरनाक और जहरीला प्रचार करने के लिये भाषण नहीं देने चाहिए। मि. जिन्ना आये दिन संवाददाताओं के

[श्री आर.के. सिधवा]

सम्मेलनों में या अपने बयानों में पाकिस्तान ही की कहानी दुहराते जाते हैं। इसलिये, बावजूद इसके कि ब्रिटिश प्रतिनिधि मंडल ने मई 16 के बयान में अपना फैसला सुना दिया है; हमें यह मालूम नहीं है कि मि. जिन्ना क्या चाहते हैं?

जब तक कि ब्रिटिश सरकार अपना वादा ही पूरा न करना चाहे, उसे मि. जिन्ना से कहना चाहिए कि वे अपना प्रचार खत्म करें, जिसके जहर से लोगों के दिमाग दूषित हो जाते हैं और इस देश में सांप्रदायिक दंगे होने लगते हैं। उनसे ऐसा कहने के बदले उसने अल्पसंख्यक जाति को सलाह देने की धृष्टता की है। हमारी समझ में नहीं आता कि वास्तव में वे क्या चाहते हैं और उनके दिमागों में क्या नाच रहा है। क्या उन्होंने मुस्लिम लीग को लंदन इसीलिये बुलाया कि हम लोग यहां 9 दिसम्बर को सम्मिलित नहीं हो सकें? लेकिन धन्य हैं हमारे नेता! वे 9 दिसम्बर को विधान-परिषद् की पहली बैठक करने के अपने निश्चय पर डटे रहे, बावजूद इसके कि उसके पहले हफ्ते में पं. जवाहरलाल नेहरू को इंग्लैंड जाना पड़ा। यद्यपि उन्होंने हमें आश्वासन दिया था कि वे 9 दिसम्बर को वापस चले आयेंगे और विधान-परिषद् के उद्घाटन-उत्सव में सम्मिलित होंगे। हमारा कई तरह से विरोध किया गया है। वे हमारे काम को रोकना चाहते हैं, यह पार्लियामेंट में दिये भाषणों से स्पष्ट हो जाता है। एक दिन पहले हमसे कहा गया—''आप फेडरल कोर्ट के सामने इस मामले को पेश कर सकते हैं और तुरंत ही इस पर उसका फैसला सुन सकते हैं''। दूसरे दिन भारतमंत्री कहते हैं—''आप फेडरल कोर्ट के सामने इस मामले को रख सकते हैं, परन्तु यह जरूरी नहीं है कि उसका फैसला हमें मान्य हो''। क्या इस असेम्बली में हम लोग एक बड़ी संख्या में इकट्ठे नहीं हुये हैं? हम अपना काम करते रहेंगे। चाहे जो भी कठिनाई हो, हम उसका सामना करेंगे और पहले की तरह हम उसे दूर करने की कोशिश करेंगे। हमने एक बात तो अभी कर दी है; वह यह कि बहुसंख्यक जाति को एक बहुत बड़ा नुकसान नहीं होने दिया है। हमने पहले भी ऐसा किया है और उसे फिर करेंगे, ताकि हममें एकता पैदा हो और हम अंग्रेजों को बाहर निकाल सकें। हम यह कर सकते हैं।

मगर मैं पूछता हूं कि मुस्लिम लीग क्यों शरीक नहीं हो रही है? वे चाहते हैं कि अंग्रेज हम से यह कहें कि अगर हम यहां सम्मिलित होकर विधान बना भी लें, तो वे उसे प्रयोग में नहीं लायेंगे। उन्हें ऐसा कहने दीजिये। हम एक विधान

बनायेंगे और उसे लोगों के सामने रख देंगे ताकि वे उस पर अपना फैसला दे सकें। इस संसार में कई निष्पक्ष देश भी हैं जिनकी निष्पक्ष विचारधारा है और वे हमारे कार्य को ठीक तौर से और सच्चे ढंग से जांचेंगे और न्याय करेंगे। सिर्फ कमल रोग का रोगी सब कुछ पीला और गलत देखता है। दक्षिणी अफ्रीका के झगड़े में संयुक्त राष्ट्रसंघ के प्रतिनिधियों ने हमारे न्याययुक्त पक्ष का समर्थन किया, यद्यपि अंग्रेज हमारे विरोधी थे। हमने जिस काम का बीड़ा उठाया है, वह न्याययुक्त है और हम अपना काम करते रहेंगे और एक ऐसा विधान बनायेंगे जिस पर हम गर्व कर सकेंगे। *(हर्षध्वनि)*

***श्री विश्वनाथ दास** (उड़ीसा): श्रीमान्, उड़ीसा के प्रतिनिधियों की तरफ से मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। माननीय पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जिस प्रस्ताव को पेश किया है वह चार भागों में विभाजित है। पहले भाग में उस लक्ष्य का उल्लेख है जिसके लिए हम लड़ते रहे हैं; दूसरे भाग में स्वतंत्र भारतीय रिपब्लिक के जल, थल और आकाश में अधिकार-क्षेत्र का उल्लेख हैं; तीसरे भाग में यह घोषणा की गई है कि हमारी जो शक्ति है और हमारे जो अधिकार हैं वह हमें लोगों से प्राप्त हैं चौथा भाग एक बहुत महत्त्वपूर्ण भाग है, जिसमें कबाइली और दूसरे क्षेत्रों के सम्बन्ध में व्यक्तिगत स्वतंत्रता का उल्लेख है।

श्रीमान्, किसी भी विधान में इस तरह की आरम्भिक बातें आवश्यक हैं। इसलिए यह ठीक नहीं होगा और अनुचित भी होगा कि हम आरंभ में ही इस प्रश्न को हल न करें। इस प्रस्ताव का कुछ भी विरोध नहीं है, क्योंकि माननीय डॉ. एम.आर. जयकर ने जो संशोधन पेश किया है, उसका उद्देश्य सिर्फ यह है कि इस प्रस्ताव पर एक महीने बाद विचार हो। माननीय मेम्बर यह स्वीकार करते हैं कि वे प्रस्ताव से पूर्णतया सहमत हैं। मेरी समझ में नहीं आता कि एक महीने के लिये बहस स्थगित करने से क्या फर्क पड़ेगा।

श्रीमान्, मेरे मित्र डॉ. अम्बेडकर ने बहस में एक अच्छा सुझाव पेश किया है। उन्होंने कहा है कि उनको प्रस्ताव के दूसरे पैराग्राफों से कोई आपत्ति नहीं है, सिवाय इसके कि पैराग्राफ 3 में 'समूहबन्दी' का शब्द छूट गया है। श्रीमान्, इस सम्बन्ध में मुझे उनसे एक अपील करनी है। यह कोई ऐसी गम्भीर बात नहीं है कि 'समूहबन्दी' का शब्द छूट गया है क्योंकि प्रस्ताव में 'समूहबन्दी' के विरुद्ध कुछ नहीं कहा गया है। इससे यह स्पष्ट है कि समूहबंदी का प्रश्न एक खुला

[श्री विश्वनाथ दास]

प्रश्न है। मैं यहां अपने मित्र डॉ. अम्बेडकर को मंत्रिमंडल की योजना के पैराग्राफ 19 (5) का हवाला देता हूं जिसमें यह स्पष्ट कर दिया गया है कि यह सेक्शन ही तय करेंगे कि कोई समूह-विधान बनाया जाये कि नहीं। श्रीमान्, हम सब जानते हैं कि कांग्रेस की कार्यकारिणी समिति ने इस सम्बन्ध में एक दूसरा प्रस्ताव पेश किया था। मंत्रिमंडल ने इस प्रस्ताव की आलोचना की और उनकी आलोचना पैराग्राफ 14 (2) में दी हुई है। इस योजना के आधीन यदि प्रांत किसी ऐसी आर्थिक व शासनप्रबंध-सम्बन्धी व्यवस्था में भाग लेना चाहते हैं जो बड़े पैमाने में की जाये, तो वे अनिवार्य विषयों के अतिरिक्त स्वेच्छा से कुछ विषय केन्द्र को सौंप देंगे। कांग्रेस की कार्यकारिणी के तर्क का उल्लेख करते हुए मंत्रिमंडल ने अपनी आलोचना की है। उनका कहना है कि केन्द्र में कोई ऐसी प्रबन्धकारिणी या धारा सभा बनाना बड़ा कठिन होगा, जिसमें कुछ ऐसे मंत्री हों, जिनके जिम्मे अनिवार्य विषय हों और जो सारे हिन्दुस्तान के प्रति उत्तरदायी हों और कुछ ऐसे मंत्री हों जिनके जिम्मे स्वेच्छा से सौंपे हुए विषय हों और जो प्रांतों के प्रति उत्तरदायी हों। श्रीमान्, यह आपत्ति करके मंत्रिमंडल ने कार्यकारिणी के सुझाव को अलग रख दिया है। छोटे प्रांतों का यदि केन्द्र पथप्रदर्शन न करे तो उनके लिए उन्नति करना कठिन ही नहीं बल्कि असम्भव ही हो जायेगा। इस सम्बन्ध में मैं 'बी' और 'सी' सेक्शनों का हवाला नहीं दे रहा हूं। मैं सेक्शन 'ए' का हवाला दे रहा हूं जिससे उड़ीसा, बिहार, मध्यप्रांत, मद्रास और दूसरे प्रान्तों का सम्बन्ध है। श्रीमान्, कांग्रेस ने जब यह स्वीकार किया कि हिन्दुस्तान का विभाजन भाषाओं के आधार पर किया जाये, तो इसका यह अर्थ है कि बहुत से छोटे-छोटे प्रांत बन जायेंगे। उड़ीसा, केरल, कर्नाटक और दूसरे ऐसे छोटे प्रांतों को अपने यहां आर्थिक व शासन प्रबन्ध सम्बन्धी योजनाओं को बनाने में बड़ी कठिनाई पड़ेगी। इस दशा में यह हो सकता है कि ये प्रांत सभी सम्बन्धित अधिकारों को केन्द्र को सौंप देंगे। इसके बाद किसी भी ऐतराज के लिये गुंजाइश नहीं रह जाती। बाद को सेक्शनों में इस तरह के कई सवाल पैदा हो सकते हैं। यदि दरवाजा खुला हुआ है, तो वह ऐसे ही प्रस्तावों के लिये खुला हुआ है, जो बाद को पेश किये जा सकते हैं। इन दशाओं में मेरा विश्वास है कि मेरे माननीय मित्र डॉ. अम्बेडकर को इस व्याख्या से संतोष हो जायेगा और वे 'समूह' शब्द के छूट जाने पर आपत्ति नहीं करेंगे।

माननीय प्रस्तावक ने जिस प्रस्ताव को पेश किया है, उसमें सभी बातें स्पष्ट कर दी गई हैं। कोई बात छिपाकर नहीं रखी गई है। सभी बातों का जिक्र कर दिया गया है ताकि रियासतों और प्रांतों को एक ही नजर में सब कुछ देख लेने की सहूलियत हो। श्रीमान्, रियासती कमेटी के सेक्रेटरी ने बयान दिया है जिसमें उन्होंने इस प्रस्ताव पर आपत्ति की है। उन्होंने दो बातों को लेकर आपत्ति की है। पहली बात यह है कि उनको ''स्वतंत्र सार्वभौम-सत्ता-सपन्न रिपब्लिक'' से आपत्ति है और दूसरी यह है कि उन्हें इस विषय में भी आपत्ति है कि शक्ति लोगों से प्राप्त होती है। वह यह स्वीकार करने को तैयार नहीं हैं कि देशी रियासतों में शक्ति लोगों से प्राप्त होती है।

श्रीमान्, मंत्रिमंडल के बयान के पैराग्राफ 14 में यह दिया हुआ है कि ब्रिटिश सत्ता के हट जाने पर सर्वोच्च सत्ता का भी अन्त हो जायेगा। इंग्लैंड का कानून यह स्वीकार करता है कि शक्ति लोगों से प्राप्त होती है। पार्लियामेंट को शक्ति ब्रिटेन के लोगों से प्राप्त होती है और वही पार्लियामेंट सर्वोच्च अधिकारों को प्रयोग में लाती है। इस दशा में मेरी समझ में नहीं आता कि रियासतों के शासकों और उनके प्रतिनिधियों को इन शब्दों से क्यों आपत्ति है। श्रीमान्, ब्रिटिश सत्ता के हट जाने पर यह सोचने का कोई कारण नहीं रह जाता कि हिन्दुस्तान में रिपब्लिक के अलावा कोई दूसरे किस्म की सरकार स्थापित होगी।

यह जरूरी नहीं है कि रिपब्लिक में रियासतों का कोई भी स्थान नहीं होगा। इस प्रकार का भय निराधार है। मंत्रिमंडल के बयान में बताया गया है कि यह बातें आपस में बातचीत करके तय की जा सकती हैं। उन्होंने अपनी सम्बन्ध स्थापित करने वाली कमेटी स्थापित की है और हम अपनी कमेटी स्थापित करेंगे। इस प्रकार सब बातें आपस में मिलकर तय कर लेने के लिये छोड़ दी गई हैं।

प्रस्ताव के बारे में ये बातें कहने के बाद अब मैं उन कुछ बयानों पर आता हूं जो कामन्स-सभा में दिये गये हैं श्रीमान्, आप जानते हैं कि कंजरवेटिव पार्टी ने ब्रिटिश पार्लियामेंट को हिन्दुस्तान पर बहस करने के लिये मजबूर कर दिया। उस पार्टी के नेता ने और उसके दूसरे प्रमुख मेम्बरों ने उस बहस में भाग लिया; यद्यपि लेबर और लिबरल पार्टियों के मेम्बरों ने कहा कि यह बड़े दुर्भाग्य की बात होगी, यदि इस समय यह बहस की जाये।

[श्री विश्वनाथ दास]

श्रीमान् कंजरवेटिव पार्टी के प्रमुख मेम्बरों ने कहा है कि विधान-परिषद् सवर्ण हिन्दुओं की सभा है। मुझे प्रसन्नता है कि हिन्दुस्तान की अल्पसंख्यक जातियों के प्रतिनिधियों ने इस अनुचित सुझाव का जवाब दे दिया है और मुझे आशा है कि अल्पसंख्यकों के दूसरे प्रतिनिधि भी इस सुझाव का जवाब देकर इसे दफना देंगे, क्योंकि वह इंग्लैंड व विदेश में प्रचारार्थ ही पेश किया गया है। श्रीमान्, इस महान असेम्बली में केवल बहुसंख्यक हिन्दुओं के प्रांतों के हिन्दुओं के ही प्रतिनिधि नहीं हैं, बल्कि उन अल्पसंख्यक हिन्दुओं के भी प्रतिनिधि हैं जो ऐसे प्रांतों में रहते हैं, जहां मुसलमानों का बहुमत है। यहां परिगणित जातियों, ईसाइयों, सिक्खों, पारसियों, ऐंग्लो-इंडियनों और कबाइली और अंशतः प्रथक् क्षेत्रों के भी प्रतिनिधि हैं। हमारे बीच में महान मुस्लिम जाति के भी प्रतिनिधि हैं, सिवाय इसके कि यहां मुस्लिम लीग के नेता नहीं हैं। इस दशा में यह बहुत ही अनुचित है और बड़े दुर्भाग्य की बात है कि यह महान असेम्बली, जिसमें कि महान भारतीय राष्ट्र के प्रतिनिधि हैं, सवर्ण हिन्दुओं की सभा कही जाये और विशेषतः यह कि ब्रिटिश पार्लियामेंट को वैदेशिक प्रचार का मंच बनाया जाये। पार्लियामेंट के भाषणों में अल्पसंख्यकों के बारे में बहुत कुछ कहा गया है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या कोई ऐसा देश है, जहां अल्पसंख्यक नहीं हैं? इंग्लैंड में भी अल्पसंख्यक हैं क्या वेल्श लोग अल्पसंख्यक नहीं हैं? स्काट भी अल्पसंख्यक हैं। वेल्श लोगों की जाति और भाषा अंग्रेजों से बिल्कुल भिन्न है। संयुक्त राष्ट्र अमरीका में ऐसे अल्पसंख्यक हैं जिनकी भाषा और जाति भिन्न है। सोवियत रूस में भी यही हाल है। इस दशा में यह अनुचित है कि इंग्लैंड की कंजरवेटिव पार्टी के नेता इस देश और इस विधान-परिषद् के विरुद्ध प्रचार करें। यह स्पष्ट हो गया है कि मि. जिन्ना और मि. चर्चिल के बीच अजीब दोस्ती पैदा हो गई है। मुझे आश्चर्य है कि मि. जिन्ना ऐसे राजनीतिज्ञ कंजरवेटिवों और विशेषतया मि. चर्चिल के जाल में फंस गये हैं। सब कोई यह जानते हैं और इतिहास भी यह बतलाता है कि कंजरवेटिव पार्टी ने किस तरह परतंत्र देशों में खास-खास लोगों व संस्थाओं से काम निकाला है। इस सूरत मे मि. जिन्ना आसानी से यह समझ सकते हैं कि अंग्रेज किस तरह उनसे व मुस्लिम लीग से काम निकाल रहे हैं यह हमें भी देखना है कि कौन किसको किस हद तक काम में लाता है। हम आशा करते हैं कि आगे चलकर मि. जिन्ना की समझ में सब कुछ आ जायेगा और कंजरवेटिवों को ही मुंह की खानी पड़ेगी।

***माननीय पं. हृदयनाथ कुंजरू:** सभापति महोदय, इस सभा में दिये हुए कुछ भाषणों से मालूम होता है कि कुछ वक्ताओं ने यह समझा है कि जो संशोधन इस सभा में पेश किया गया है, वह विरोध की भावना से किया गया है मेरा विचार है कि उसका उद्देश्य इस सभा के काम में बाधा डालना नहीं है, बल्कि उसमें सहूलियत पैदा करना है। उसका उद्देश्य यह है कि ऐसा वातावरण बनाया जाये, जिससे हम जल्दी ही और आसानी से उस महान लक्ष्य को समझ सकें जिसे हमने अपने सामने रखा है। मैं समझता हूं कि मेरा यह कहना गलत न होगा कि इस सभा के हर भाग में ऐसे लोग हैं जिन्हें डॉ. जयकर के संशोधन से सहानुभूति है। किसी भी पक्षपात रहित आदमी को यही बात विश्वास दिलाने के लिये काफी है कि इस संशोधन का उद्देश्य यह नहीं है कि हमारे रास्ते में रोड़े अटकाये जायें, किन्तु ऐसा रास्ता दिखाना है जो निश्चय ही सफलता की ओर ले जाये। मैं तो यहां तक कहता हूं कि यदि अखबारों की यह खबर ठीक है कि असेम्बली की अगली बैठक जनवरी के आखिर तक होगी, तो इससे यह प्रकट होता है कि यह सभा समझती है कि महत्त्वपूर्ण प्रश्नों का निर्णय मनोवैज्ञानिक कारणों से कुछ काल के लिये स्थगित किया जाना चाहिये। ऐसा करने से उन सबों को जिनके हितों पर इन निर्णयों का असर पड़ता है, यह आश्वासन मिलता है कि इन नतीजों पर पहुंचने के पहले उन्हें भी अपने विचार प्रकट करने का अवसर मिलेगा। मैं उन सबको जिन्होंने यह तय किया है, बधाई देता हूं। यह हमने समझदारी का काम किया है कि हमने हिन्दुस्तान के लोगों के हर वर्ग को यह महसूस करा दिया है कि हम किसी पार्टी या जाति को अपना मत मानने के लिये मजबूर नहीं कराना चाहते और यह कि हम आपस में वाद-विवाद करके ही ऐसे निर्णय करेंगे, जिनका उद्देश्य हिन्दुस्तान को स्वतंत्र बनाना और अल्पसंख्यकों और पिछड़े हुए वर्गों के अधिकारों की रक्षा करना होगा। इस संशोधन का भी वही उद्देश्य है, जो कि उस निर्णय को करने वालों का है, जिसका हवाला मैंने दिया है। यह केवल उस सूझ के लिये तर्क रखता है, जिसका जिक्र सर राधाकृष्णन ने अपने ओजस्वी भाषण में किया और जिसके बारे में उन्होंने कहा था कि प्राचीन भारतीय सभ्यता की यह विलक्षणता थी।

श्रीमान्, डॉ. श्यामा प्रसाद मुकर्जी ने कल हम लोगों से यह सवाल किया था कि यदि इस संशोधन में प्रकट किये हुए विचारों को यह सभा स्वीकार कर ले, तो क्या बहुत काल तक भी यह सभा कुछ काम कर पायेगी? मिसाल के तौर पर

[माननीय पं. हृदयनाथ कुंजरू]

मैं पूछता कि जब तक कि रियासतों के प्रतिनिधि संघ-विधान बनाने में हिस्सा न लें, तो क्या यह सभा कुछ कर सकेगी? मैं नहीं समझता कि इस आपत्ति में कुछ बल है। यदि इस सभा के सामने जो प्रस्ताव रखा गया है, उसके उद्देश्य को प्राप्त करना है, तो यह स्पष्ट है कि वह बहुत कुछ संघ की विधान-परिषद् द्वारा ही प्राप्त हो सकता है जो कि संघ के लिये विधान बनायेगी।

यह प्रस्ताव सेक्शन-कमेटियों को रास्ता दिखा सकता है। लेकिन उनकी बैठकें भी अप्रैल या मई से पहले मुश्किल से हो सकेंगी। जो भी सूरत हो, संघ की विधान-परिषद् ही वह मुख्य संस्था है, जिसका मार्ग प्रदर्शन इस प्रस्ताव के आदेशों से होगा और उसकी बैठक सेक्शन-कमेटियों का काम खत्म होने पर ही होगी। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि पं. जवाहरलाल नेहरू के प्रस्ताव पर बहस स्थगित करने से इस सभा के काम में बिल्कुल भी देर नहीं होगी। चूंकि उसका मुख्य उद्देश्य संघ की विधान-परिषद् को विचार-विनिमय में रास्ता दिखाना है। इसलिये यदि थोड़े समय के लिये उस पर बहस न की जाये तो कोई नुकसान नहीं होगा, बल्कि उन वर्गों को जिनके हितों पर प्रभाव पड़ता है, अपने विचार प्रकट करने का अवसर मिल जायेगा। रियासतों के कुछ प्रतिनिधियों ने इस असेम्बली द्वारा इस प्रस्ताव को तुरन्त ही स्वीकार किये जाने पर आपत्ति है। उनके विचार ठीक हों या गलत, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। हमें केवल इसकी ओर ध्यान देना चाहिये कि यदि इस प्रस्ताव को तुरंत पास कर दिया जाये, तो हमारा यह फैसला सिर्फ एक तरफ का फैसला होगा। इस प्रस्ताव के उद्देश्यों का समर्थन करने के लिये इस सभा के पास बाद को काफी वक्त होगा। इस तरह का भय करने की कोई आवश्यकता नहीं कि इस प्रस्ताव को स्थगित करने से उसका सारा उद्देश्य ही खत्म हो जाता है। मेरा अपना यह विचार है कि कुछ देर करने से हमें इस महत्त्वपूर्ण विषय पर विचार करने के लिये अधिक बल प्राप्त हो जायेगा।

श्रीमान्, एक और भी महत्त्वपूर्ण प्रश्न है, जिसे कल डॉ. श्यामा प्रसाद मुकर्जी ने हमारे सामने रखा था। उन्होंने हमसे पूछा था कि क्या हमें यह स्थिति स्वीकार है कि जब तक मुस्लिम लीग इस असेम्बली के काम में हाथ बंटाने के लिये राजी न हो जाये, यहां कुछ भी काम न किया जायेगा? मैं समझता हूं कि जो संशोधन पेश किया गया है, उसका विरोध मुख्यतः उसी भावना से किया गया

है, जिसे डॉ. श्यामा प्रसाद मुकर्जी ने प्रकट किया है वह यह है कि इस प्रस्ताव पर विचार स्थगित करने से इस सभा का काम रुक जायेगा। डॉ. मुकर्जी ने जोरदार शब्दों में डॉ. जयकर से पूछा कि यदि वे इस तरह के विचारों के हैं, तो उन्होंने इस समय विधान-परिषद् में भाग लेना स्वीकार ही क्यों किया? श्रीमान्, मेरा विचार है कि उन लोगों की राय मानना जो कि यह चाहते थे कि इस असेम्बली का उद्घाटन अनिश्चित काल के लिये स्थगित कर दिया जाये, बड़ी नासमझी का काम होता। मेरी राय में वायसराय को इसके लिये मजबूर करके कि इस असेम्बली की बैठक पूर्वनिश्चित तिथि के अनुसार हो, हमने एक बड़ी मंजिल तय कर ली है। यदि असेम्बली का उद्घाटन न होता, तो उसका भविष्य अधिकारियों की स्वेच्छा पर निर्भर रहता। लेकिन अब वह वायसराय या ब्रिटिश सरकार की स्वेच्छा पर निर्भर नहीं है। यह अब इस सभा पर, श्रीमान्, आप पर निर्भर है कि इस सभा की बैठक कब हो और यहां का काम किस प्रकार समाप्त किया जाये। जहां तक श्रीमान्, इस प्रश्न का सम्बन्ध है कि मुसलमानों की अनुपस्थिति में यह असेम्बली कुछ कर सकती है या नहीं, मैं इस विषय पर संक्षेप में बोलूंगा। कई एक वक्ताओं का यह मत है कि यदि इस प्रस्ताव पर जो बहस हो, उसमें हिस्सा लेने के बारे में हम मुस्लिम लीग और देशी रियासतों का अधिकार मान लें, तो हम उनके हाथ में इस असेम्बली का काम रोकने के लिये पूरी ताकत दे देंगे। मेरी राय में इससे यह प्रकट होता है कि वर्तमान स्थिति गलत तरीके से समझी गई है। कामन्स सभा और लार्ड्स सभा में ब्रिटिश सरकार के वक्ताओं ने जो भाषण दिये हैं, उनसे यह प्रकट होता है कि ब्रिटिश सरकार यह चाहती है कि प्रांतीय विधानों और समूहों को बनाने में जो तरीका काम में लाया जाये उसके सम्बन्ध में समझौता होना चाहिये। केवल 16 मई के बयान के पैराग्राफ 19 की जो व्याख्या की गई है वही विचारणीय है। मेरे विचार में यह मामला तुरंत ही फेडरल कोर्ट के सामने रखा जायेगा; इसलिये मैं आशा करता हूं कि विधान-परिषद् के आने के लिये मुस्लिम लीग के लिये तुरंत ही रास्ता खुल जायेगा। लेकिन यदि लीग इसी कारण से नहीं, बल्कि अन्य कारणों से भी इस असेम्बली में नहीं आ रही है और यदि सेक्शन-कमेटियों में जो तरीका काम में लाया जायेगा उसके बारे में समझौता होने के बाद भी लीग के प्रतिनिधि यहां नहीं आते हैं, तो मेरी राय में उनको यह कहने का अधिकार नहीं होगा कि इस असेम्बली की कार्यवाही अनिश्चित काल के लिये स्थगित कर दी जाये।

[माननीय पं. हृदयनाथ कुंजरू]

मंत्रिमंडल ने 6 दिसम्बर को जो बयान दिया, उसके आखिरी पैराग्राफ से बहुत भ्रम पैदा हो गया हैं आजकल जैसी राजनैतिक स्थिति है उसमें वे लोग जिनके हित में यह है कि इस असेम्बली का काम ठीक ढंग से न चले, इससे फायदा उठा सकते हैं। लेकिन सब बातों को देखते हुए मेरी राय में जो भाषण कामन्स-सभा और लार्ड्स-सभा में दिये गये हैं, उनसे यह प्रकट नहीं होता है कि लेबर गवर्नमेंट की नीयत ठीक नहीं है। यदि मुसलमान किसी ऐसी शर्त पर अड़ते हैं कि जिसका जिक्र 16 मई के बयान में नहीं है, तो जैसा कि सरदार वल्लभभाई पटेल न कहा है, हमें इस पर सहमत नहीं होना चाहिये। हमें यह स्थिति स्वीकार नहीं है कि किसी पार्टी की हठधर्मी से हमारा काम असफल हो। हम उसकी सभी उचित मांगों पर विचार करने के लिये तैयार हैं; लेकिन हम किसी भी सूरत में इस पर राजी नहीं हो सकते कि वह इस असेम्बली के भाग्य का निर्णय करे। यदि दुर्भाग्य से ऐसी स्थिति उत्पन्न हो तो हम ब्रिटिश सरकार को मि. एटली के इस वायदे की याद दिलाने के लिये तैयाार हैं कि अल्पसंख्यकों को देश की उन्नति रोकने का अधिकार नहीं होगा। भारत-मंत्री ने भी इस वादे को दुहराया है। इसलिये हमें इसका भय न होना चाहिये कि 16 मई के बयान के पैराग्राफ 19 की व्याख्या के सम्बन्ध में समझौता होने के बाद भी यदि मुस्लिम लीग के प्रतिनिधि इस असेम्बली में नहीं आते, तो उन्हें अपनी हठधर्मी से इस असेम्बली का काम रोकने दिया जायेगा। श्रीमान्, इन कारणों से जो संशोधन पेश किया गया है, उसका मैं हृदय से समर्थन करता हूं लेकिन मेरे समर्थन से यह न समझा जाये कि मैं 16 मई के बयान के उस वाक्यखंड से सहमत हूं जिसमें समूहबन्दी का उल्लेख है। मेरी समझ में नहीं आता कि क्यों किसी प्रांत को किसी समूह में जाने के लिये मजबूर किया जाये। मेरी राय में विशेषत: आसाम को इसके लिये मजबूर करना कि वह बंगाल के साथ मिलकर एक ही सरकार बनाये, चाहे वह किसी भी काम के लिये हो, किसी प्रकार भी ठीक नहीं कहा जा सकता। नोआखाली में जो कुछ हुआ और उसके फलस्वरूप बिहार में हाल में जो शोचनीय घटनाएं घटित हुईं, उनको देखते हुये आसाम के लोगों को और भी अधिक भय हो गया है और यह स्वाभाविक ही है। लेकिन समूहबन्दी, जैसा कि मंत्रिमंडल उस दिन से ही कहता रहा जबकि उन्होंने अपना बयान निकाला, उनकी योजना का आवश्यक अंग है। वे कहते हैं कि इस बारे में समझौता हुए बिना इस असेम्बली को वह नैतिक अधिकार प्राप्त नहीं होगा, जो अन्यथा इस प्रकार की सभा को होता, हमारी दृष्टि में यह संतोषजनक स्थिति नहीं है, लेकिन बाद को जब सेक्शन-कमेटियों

की रिपोर्ट हमारे सामने आ जायेंगी, तो हम उन प्रांतों के विषय में विचार कर सकेंगे, जो अपनी इच्छा के विरुद्ध किसी समूह के मेम्बर होने के लिये मजबूर किये जायें। श्रीमान्, मैं पूरे जोर से कहना चाहता हूं कि ब्रिटिश सरकार का इस बात पर अड़ना कि ऐसे प्रांत भी समूहों में जाने के लिये मजबूर किये जायें, जो उनमें नहीं जाना चाहते हैं, बिलकुल अनुचित है। परन्तु जैसा कि मैं पहले कह चुका हूं कि सेक्शन-कमेटियां और बाद में संघ की विधान-परिषद् जिस रूप में विधान को हमारे सामने रखेगी, उस पर विचार करने के लिये हमारे पास काफी समय होगा।

इस समय श्रीमान्, हमें सिर्फ इस प्रश्न पर विचार करना है कि आया इस प्रस्ताव पर तुरन्त ही बहस शुरू कर दी जाये, या उसे स्थगित करने से कोई हानि तो नहीं होगी। मैंने यह बताया है कि यदि हम इस महत्त्वपूर्ण प्रश्न की बहस में सम्मिलित होने के लिये मुस्लिम लीग और रियासतों के प्रतिनिधियों के लिये रुक जायें, तो उससे कुछ भी हानि नहीं होगी। यदि हम इस प्रस्ताव को पास भी कर दें, तो बाद में इन प्रतिनिधियों के यह कहने पर कि इस प्रस्ताव के पास करने से जिन बुनियादी प्रश्नों का असेम्बली ने समर्थन कर दिया है, उन पर फिर विचार होना चाहिए। क्या हममें उनसे यह कहने के लिये नैतिक बल होगा कि हम ऐसा नहीं कर सकते? श्रीमान्, मुझे विश्वास है कि यदि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो, तो मुस्लिम लीग और देशी रियासतों के प्रतिनिधियों की प्रार्थना को अस्वीकार करने के लिये हमारा हृदय समर्थ न होगा।

श्रीमान्, मैं एक ही शब्द और कहूंगा। हिन्दुस्तान में और इंग्लैंड में दोनों जगह हमारे रास्ते में बहुत सी कठिनाइयां हैं। अब भी लार्ड लिनलिथगो जैसे लोग मौजूद हैं, जिनका विचार है कि ब्रिटिश अधिकार का हिन्दुस्तान में फिर प्रयोग किया जा सकता है। उनको एक भ्रम हो गया है, जो बहुत खतरनाक है। यदि इंग्लैंड का पथ-प्रदर्शन ऐसे लोग करें, तो वहां ऐसी गम्भीर स्थिति पैदा हो जायेगी जैसी कि पिछले 25 वर्षों में कभी भी पैदा नहीं हुई थी। कुछ समय तक वह भले ही हिन्दुस्तान को बलपूर्वक दबाये रहें, लेकिन वह यहां एक दिन के लिये भी शासन नहीं कर सकते हैं। मेरा विश्वास है कि लेबर गवर्नमेंट इसको समझती है और वह इसके लिये तैयार नहीं है कि वह मि. चर्चिल और लार्ड लिनलिथगो ऐसे लोगों की और लार्ड साइमन ऐसे लोगों की भी सलाह माने, जो वास्तव में कंजर्वेटिव हैं लेकिन उन्होंने लिबरलों का वेश रख लिया है। फिर भी श्रीमान्,

[माननीय पं. हृदयनाथ कुंजरू]

हमारे सामने जो आंतरिक और बाह्य कठिनाइयां हैं और जिनको हमें दूर करना है, उन्हें देखते हुए हमें समझ-बूझकर इस तरह काम करना चाहिये कि इस सभा का नैतिक मान बढ़े। इस देश में ही नहीं, बल्कि इंग्लैंड में भी हमारे बहुत से मित्र हैं। हमें इस तरह काम शुरू करना चाहिये जिससे उनका बल बढ़े। हमें यह सोचना नहीं चाहिये कि 16 मई के बयान की शर्तों के आधीन हमें क्या करने का अधिकार है। हमें यह सोचना चाहिये कि इस महत्त्वपूर्ण अवसर पर हमें कौन से ऐसे काम करने चाहिये जो हमारे हित में हों। हम यह सोच सकते हैं कि हमें पं. जवाहरलाल नेहरू का प्रस्ताव पास करने का पूरा अधिकार है, लेकिन यदि अपने अधिकारों को प्रयोग में लाने से असंतोष और अशांति ही बढ़े, जिसका अंत करना हमारा उद्देश्य है, तो उनको प्रयोग में लाने से क्या फायदा? इसलिये श्रीमान्, मैं आशा करता हूं कि हम इस तरह काम करेंगे कि हिन्दुस्तान, सभी वर्गों के लोगों की सम्मति से और यदि दुर्भाग्य से यह सम्भव न हो, तो उन सब लोगों की सम्मति से जो यह स्वीकार करते हैं कि इस देश को प्रगति के पथ पर अग्रसर होने का अधिकार है, तेजी से उस लक्ष्य की ओर बढ़ेगा, जिसको हमने अपने सामने रखा है—यानी स्वतंत्रता और एकता की ओर। *(हर्षध्वनि)*

***माननीय दीवान बहादुर सर एन. गोपालस्वामी आयंगर** (मद्रास : जनरल): सभापति महोदय, मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करने के लिये आगे बढ़ा हूं और कहूंगा कि मैं इसलिए आगे बढ़ा हूं कि मैं अपनी पूरी ताकत से इसका अनुरोध करूं कि इस प्रस्ताव पर वाद-विवाद इन्हीं बैठकों में खत्म हो जाना चाहिए। *(हर्षध्वनि)* श्रीमान्, मैं डॉ. जयकर और पं. कुंजरू का बहुत आदर करता हूं। उन्होंने इस संशोधन पर कि जब तक मुस्लिम लीग और देशी रियासतों के प्रतिनिधि सम्मिलित न हो जायें, इस बहस को स्थगित कर देना चाहिये। जो कुछ कहा है, उस पर मैंने बड़ी सावधानी से विचार किया है। इस बहस के स्थगित करने के प्रस्ताव के खिलाफ मेरी एक ही शिकायत है। श्रीमान्, मेरी राय में इसमें कल्पना का अभाव है। मैं यह अपने मित्रों का अनादर करने के लिये नहीं कह रहा हूं। इसमें कल्पना का अभाव है यह मैं इसलिये कह रहा हूं कि इसमें इसकी उपेक्षा है कि हमने इस समय एक महान कार्य का बीड़ा उठाया है और यह आवश्यक है कि हम अपने देश को और संसार को यह समझा दें कि हम वास्तव में कुछ काम कर दिखाना चाहते हैं।

अब श्रीमान्, मुख्य प्रस्ताव को देखिये, यह उन उद्देश्यों की ओर संकेत करता है, जिनको विधान बनाते समय हमें अपने सामने रखना है। क्या इस तरह का प्रस्ताव तब तक स्थगित कर दिया जाये जब तक कि हम असेम्बली का काम लगभग पूरा ही न कर लें? मेरे विचार में श्रीमान्, बहस स्थगित करने के प्रस्ताव का यही पूरा-पूरा जवाब है। इस संशोधन के प्रस्तावक व समर्थकों ने मुख्य प्रस्ताव पर बहस स्थगित करने के लिये कारण बतायें हैं, लेकिन उन्होंने स्वीकार किया है कि प्रस्ताव में कोई भी ऐसी बात नहीं है, जिससे वे सहमत नहीं हैं। श्रीमान्, मैं उनसे अपील करता हूं कि यदि उनका इस प्रस्ताव पर विश्वास है, तो उनको इसे इस सभा का असली काम शुरू होने के पहले इन्हीं बैठकों में पास कर देना चाहिये और उसे उस समय के लिये स्थगित न करना चाहिये जब कि हम सब कुछ काम खत्म कर चुकेंगे। मैं जानता हूं कि डॉ. जयकर ने अपने भाषण के अंत में यह सुझाव पेश किया कि इस प्रस्ताव पर बहस लगभग एक महीने के लिये स्थगित कर दी जाये, क्योंकि उनका विचार है कि उस समय तक मुस्लिम लीग के प्रतिनिधि हमारे साथ सम्मिलित हो जायेंगे। लेकिन देशी रियासतों के प्रतिनिधियों के बारे में हमें क्या कहना है? ऐसी रियासतों के प्रतिनिधि शुरू में इस असेम्बली में नहीं आये हैं। यद्यपि इसका दोष इस असेम्बली पर नहीं है और मैं समझता हूं कि उन्हें यहां आने का हक है। लेकिन यहां का कार्यक्रम इस तरह रखा गया है कि वे विधान-परिषद् की आखिरी बैठकों में ही आ सकते हैं। क्या हम उनके लिये रुके रहें? वास्तव में इस सभा के बाहर इस प्रस्ताव पर जिन लोगों ने सबसे अधिक आपत्ति की है, वह देशी रियासतों के प्रतिनिधि ही हैं।

अब जहां तक मुस्लिम लीग के प्रतिनिधियों का सम्बन्ध है, क्या इस प्रस्ताव पर विचार करके हम उनके साथ अन्याय कर रहे हैं? हम इस समय जो कुछ कर रहे हैं, उस पर उनको सिर्फ यह एतराज है कि समूहबन्दी के वाक्यखंड की उन्होंने दूसरी व्याख्या की है। लेकिन हम इस समय समूहबन्दी पर बहस नहीं कर रहे हैं। हम एक ऐसे प्रस्ताव पर विचार कर रहे हैं जो यह बतलाता है कि हमारे कार्य का उद्देश्य क्या है? इस विषय के बारे में उनको यह हक है कि वे इस बहस में शरीक हों। यहां आने में और अपनी जगहों में बैठने में और अपना महत्त्वपूर्ण काम करने के पहले शुरू की बातों पर हमारे साथ बहस करने में उनको क्या आपत्ति है? जब यह असेम्बली अपनी पहली बैठक खत्म करके सेक्शनों में विभाजित होने का प्रस्ताव करेगी उसी समय वे अपनी मुख्य आपत्ति

[माननीय दीवान बहादुर सर एन. गोपालस्वामी आयंगर]

इस सभा के सामने रख सकते हैं और श्रीमान्, जैसा कि मैं एक क्षण में बताऊँगा, वे उस समय चाहे जो सवाल भी उठाना चाहें उन्हें उठा सकते हैं। *(वाह-वाह)*

अब श्रीमान्, इस महीने की 6 तारीख को श्रीमान् सम्राट की सरकार ने जो बयान दिया है, उससे समूहबन्दी का प्रश्न एक नये स्तर पर पहुंच गया है, लेकिन मैं उनके बयान के औचित्य पर विचार नहीं करूंगा। मैं सिर्फ यह कहूंगा कि जब वाद-विवाद इस हद तक पहुंच गया है, तो यह बड़े आश्चर्य की बात है कि श्रीमान्, सम्राट की सरकार के ऐसे प्रतिष्ठित अधिकारियों ने इस तरह का बयान दिया है। वह बयान चाहे जैसा भी हो, मैं उसके औचित्य पर विचार नहीं करना चाहता। अब हमें यह देखना है कि उस बयान से हम किस नतीजे पर पहुंचते हैं। श्रीमान्, सम्राट की सरकार ने कहा है कि मंत्रिमंडल की योजना की उनकी व्याख्या और मुस्लिम लीग की व्याख्या में अंतर नहीं है। लेकिन उनका कहना है—''चूंकि आप इस सम्बन्ध में सहमत हैं कि यह मामला फेडरल कोर्ट के सामने रखा जाये या चूंकि आप कहते हैं कि विधान-परिषद् उसे फेडरल कोर्ट के सामने रखेगी, तो आप ऐसा कर सकते हैं''। इसके अलावा लार्ड पेथिक लारेंस ने कल जो बयान दिया, उसमें उन्होंने इस विषय को सीमित कर दिया है। उसमें उन्होंने कहा है कि ''यदि फेडरल कोर्ट से भी अपील करें तो भी श्रीमान्, सम्राट की सरकार अपनी जगह से एक इंच भी नहीं हटेगी''। अब श्रीमान्, स्थिति क्या है? अगर हम फेडरल कोर्ट के सामने इस मामले का रखते हैं और वह अपना फैसला कांग्रेस के पक्ष में देती है, तो मुस्लिम लीग ने निश्चित रूप से यह कह दिया है कि वह उसे मान्य नहीं होगा। श्रीमान्, सम्राट की सरकार कहती है कि इस सम्बन्ध में उनकी जो धारणा है उसे वे बिल्कुल भी बदलने के लिए तैयार नहीं हैं नि:संदेह मेरी राय में, श्रीमान् सम्राट की सरकार के अधिकार में यह नहीं है कि वह फेडरल कोर्ट के निर्णय को माने या न माने। यह बात उनके हाथ में बिलकुल भी नहीं है। विधान-परिषद् यदि इस मामले को फेडरल कोर्ट के सामने रखे, तो ऐसा करने के पहले यह उसी के अधिकार में है कि वह कहे कि फेडरल कोर्ट का निर्णय उसको मान्य होगा। तब क्या होगा? यदि हम थोड़ी देर के लिए मान लें कि फेडरल कोर्ट की राय वही होती है जो कि श्रीमान्, सम्राट की सरकार का मत है, तो उन लोगों की स्थिति क्या होगी जिनका उससे भिन्न मत है? उन्होंने अलग-अलग प्रांतों को और जातियों को जो वचन दिये हैं, उनको देखते हुए वे सिर्फ यही कर सकते हैं कि इस असेम्बली से कहें कि पैराग्राफ 19

को इस प्रकार संशोधित किया जाये कि उसमें उनका मत अधिक स्पष्ट रूप में प्रकट हो जाये। जैसा लाड्र्स-सभा में भारतमंत्री ने कहा है कि सबसे अधिक कठिनाई यह तय करने में पड़ेगी कि सेक्शनों में किस तरह वोट ली जाये। यदि पैराग्राफ 19 (5) को उसी तरह रहने दिया जाये, तो इस पर अवश्य विवाद हो सकता है कि उस वाक्य-खंड के शब्दों में संशोधन न होने पर व्यक्तिगत रूप से वोट ली जाये और किसी प्रश्न का निर्णय सीधे-सीधे बहुमत से हो। यह नि:संदेह एक विवादग्रस्त विषय है। यदि हम चाहें कि प्रांतों के आधार पर वोट ली जाये, तो यह आवश्यक है कि हम उस वाक्यखंड में संशोधन करें और मेरे विचार में यह असेम्बली इस सम्बन्ध में प्रस्ताव पेश करके इस प्रकार का संशोधन कर सकती है। क्या हम ऐसा करने जा रहे हैं? मेरी राय में श्रीमान्, सम्राट की सरकार ने 6 दिसम्बर के बयान में जो कुछ कहा है और पार्लियामेंट की सभाओं में उनकी तरफ से जो कुछ कहा गया है, और जो नई स्थिति उत्पन्न हो गई है, उसे देखते हुए समझदारी की बात यही है कि इस मामले को फेडरल कोर्ट के सामने न रखा जाये, बल्कि एक दूसरी राह ली जाये, जिसकी ओर मैंने इशारा किया है; यानी इस विधान-परिषद् में वाक्यखंड 19(5) में संशोधन करने के लिये इस आशय का एक प्रस्ताव पेश किया जाये कि सेक्शनों में जहां तक समूहबन्दी का सम्बन्ध है, वोट प्रांतों के आधार पर ली जाये।

***श्री धीरेन्द्रनाथ दत्त:** कृपा करके ऐसे प्रार्थना के प्रस्ताव हमारे सामने न रखिये।

***माननीय दीवान बहादुर सर एन. गोपालस्वामी आयंगर:** जिस प्रस्ताव के बारे में मैंने राय दी है, वह इस असेम्बली में पेश किया जायेगा और हम उस पर निर्णय करेंगे। यह सम्भव है और इस पर मेरे विचार में विवाद हो सकता है कि मुस्लिम लीग के प्रतिनिधि यहां आयें और यह कहें कि इस संशोधन से एक बहुत बड़ा सांप्रदायिक प्रश्न उठ खड़ा होता है। श्रीमान्, यदि आप यह निर्णय करें कि वह एक बहुत बड़ा सांप्रदायिक प्रश्न है, या फेडरल कोर्ट की राय लेने के बाद आप यह तय करें कि इससे एक बहुत बड़ा सांप्रदायिक प्रश्न पैदा हो जाता है, तो मुस्लिम लीग को यह कहने की स्वतंत्रता होगी कि दो मुख्य जातियों के बहुमत के बिना आप यह संशोधन स्वीकार नहीं कर सकते हैं। मैं पूछता हूं कि हम ऐसा क्यों नहीं करें? हम इस असेम्बली की एक स्थगित बैठक में यानी जनवरी तक इस प्रस्ताव पर विचार करेंगे और इस असेम्बली के सभी मेम्बरों को—उनको

[माननीय दीवान बहादुर सर एन. गोपालस्वामी आयंगर]

भी जिन्होंने अपने परिचय-पत्र नहीं दिये हैं और रजिस्टर में हस्ताक्षर नहीं किये हैं—यानी मुस्लिम लीग के मेम्बरों को उचित रूप से सूचित करेंगे कि हम इस आशय का एक प्रस्ताव पेश करेंगे और उस पर विचार करेंगे। इससे उनको इसके लिये पर्याप्त संकेत मिल जायेगा कि वे इस असेम्बली में अपनी जगहों पर आयें और यदि वे दूसरे पक्ष के प्रस्ताव को अनुचित समझें तो उसका विरोध करके उसको रद्द कर दें। मेरा यह सुझाव है और यह उन लोगों के लिये है जिन्होंने इस सम्बन्ध में निर्णय करना है। फेडरल कोर्ट के सामने इस मामले को ले जाना बिलकुल बेकार है और जहां तक मैं समझता हूं इससे हमारी कोई भी कठिनाइयां दूर नहीं होंगी।

अब जहां तक इस प्रस्ताव पर बहस स्थगित करने का सम्बन्ध है, मैं उस कानूनी पहलू से इस पर विचार नहीं करना चाहता, जिसका जिक्र मेरे माननीय मित्र डॉ. जयकर ने अपने भाषण में किया है। मैं उन दूसरी आलोचनाओं पर अपना मत प्रकट करूंगा, जो इस सभा में की गई हैं इसके पहले मैं राय देना चाहता हूं कि 16 मई के बयान की व्याख्या पर विचार करते समय हमें यह नहीं भूलना चाहिये कि हम किसी प्रांतीय कानून के आधीन या प्रांतीय धारा-सभाओं के मेम्बरों की हैसियत से अपना कार्य नहीं कर रहे हैं; या पार्लियामेंट के किसी कानून के आधीन केन्द्रीय धारा सभा के मेम्बरों की हैसियत से काम नहीं कर रहे हैं। हम एक विधान-परिषद् में काम कर रहे हैं और यदि उस पत्र में जिसके आधीन हम यहां एकत्रित हुए हैं, कुछ बातें नहीं कही गई हैं, तो उनके सम्बन्ध में हमारे लिए कोई रुकावट नहीं है। हमने जिस कार्य का बीड़ा उठाया है, उसको पूरा करने के लिये हमें पूरे अवशिष्ट अधिकार प्राप्त हैं। *(वाह वाह)* इसको ध्यान में रखते हुए हमें इस बयान के विशेष वाक्य-खंडों को आंख गड़ाकर नहीं देखना चाहिये और यह नहीं कहना चाहिये—''इस वाक्यखंड में यह नहीं कहा गया है और उस वाक्यखंड में यह नहीं कहा गया है और इसलिए जो बातें इन वाक्यखंडों में नहीं कही गई हैं, उन्हें हम नहीं कर सकते।'' मेरे विचार में जो कुछ भी नहीं कहा गया है और हमारा काम पूरा करने के लिये जरूरी है, उसे तय करना हमारे अधिकार में है।

इस प्रस्ताव पर विचार करने के विरोध में जो दूसरी कानूनी बातें उठाई गई

हैं, उनको मैं उन लोगों के लिये छोड़ देता हूं, जिनको इस विषय में अधिक अधिकार है। मेरे पास जो कुछ भी थोड़ा समय रह गया है, उसमें मैं उन आपत्तियों पर बोलना चाहता हूं, जो रियासतों के बारे में की गई हैं। नरेन्द्र मंडल की तरफ से सिर्फ तीन मुख्य आपत्तियां लोगों के सामने रखी गई हैं। पहली यह है कि चूंकि रियासतों के प्रतिनिधियों की अनुपस्थिति में प्रस्ताव पर विचार होगा और वह पास किया जायेगा, इसलिये वह आपत्तिजनक है। श्रीमान्, इस पर मैं अपना मत प्रकट कर चुका हूं। दूसरी आपत्ति यह है कि ''स्वतंत्र सार्वभौम-सत्ता-सम्पन्न रिपब्लिक'' शब्दों का प्रयोग हुआ है। मैं इस विषय में बोल कर आपका समय नहीं लेना चाहता। क्योंकि इस पर दूसरे वक्ता बोल चुके हैं। वाक्यखंड (4) के विरुद्ध जो तीसरी आपत्ति की गई है, उस पर मैं कुछ अधिक विस्तार से बोलना चाहता हूं। इस वाक्यखंड में कहा गया है:

> ''जिसमें सार्वभौम-सत्ता-सम्पन्न स्वतंत्र भारत, उसके भूभागों और सरकारी साधनों को सारी शक्ति और अधिकार लोगों से प्राप्त होंगे।''

एक प्रतिष्ठित भारतीय ने, जिन्हें मेरे विचार में देशी रियासतों के नरेशों, कम से कम कुछ रियासतों के नरेशों की तरफ से बोलने का अधिकार है, अपने एक बयान में इस पर आपत्ति की है। वे कहते हैं:

> ''इस प्रकार का सिद्धांत मान्य हो या न हो, लेकिन भारतीय भारत में यह स्वीकार नहीं किया जा सकता कि वह मान्य है। विशेषत: जब हम इसका स्मरण करते हैं कि इंग्लैंड में भी, जहां तक कानून के सिद्धांत का सम्बन्ध है, वहां भी यह सिद्धांत निश्चित रूप से प्रयोग में नहीं आता।''

कानून के सिद्धांत की दृष्टि से मैं इस सिद्धांत को कसौटी पर नहीं रखना चाहता। मैं केवल उसके वैधानिक पहलुओं पर विचार करूंगा। इंग्लैंड में यह निश्चय ही अविवाद है कि यद्यपि परम्परा से जो सम्राट होता है, वही सारे राज्य का अध्यक्ष होता है और कानून की दृष्टि से सारी शक्ति उसी से प्राप्त होती है, मगर वास्तविक शक्ति और अधिकार लोगों से ही प्राप्त होते हैं।

अब देशी रियासतों में क्या स्थिति हैं? मैं केवल दो ऐसे दस्तावेजों से उद्धरण, दूंगा, जिनको दो प्रमुख रियासतों में स्थापित की हुई कमेटियों ने प्रामाणिक बताया

[माननीय दीवान बहादुर सर एन. गोपालस्वामी आयंगर]

है। पहला एक ऐसे दस्तावेज से है जो लगभग 25 वर्ष पहले मैसूर में प्रकाशित किया गया था। वहां की सुधार की रिपोर्ट में यह कहा गया है:

> ''ऐसे विधान में किसी राज्य के अध्यक्ष को, चाहे वह परम्परा से राजपद पर आरूढ़ हुआ हो या लोगों द्वारा सभापति निर्वाचित किया गया हो, लोगों की सार्वभौम-सत्ता का प्रतिनिधित्व करने के नाते दो अधिकार प्राप्त हैं; यानी कानून के क्षेत्र में उसे समर्थन करने का अधिकार है, जिसमें कानून को रोक लेने का अधिकार भी शामिल है और शासन-प्रबन्ध के क्षेत्र में सरकार के संचालकों यानी मंत्रिमंडल को पदारूढ़ करने या पदच्युत करने का अधिकार है। ये दोनों अधिकार किसी उत्तरदायी सरकार के आधीन सीमित राजतंत्र के वैधानिक अध्यक्ष के अधिकारों की तुलना में अधिक ही नहीं है, बल्कि उनके वास्तविक रूप में प्रयोग में लाये जाते हैं।''

अब मैं हैदराबाद की एक सुधार कमेटी की रिपोर्ट से उद्धरण देता हूं:

> ''इंग्लैंड का विधान वहां के दीर्घकालीन इतिहास की देन है और वहां के राजा और पार्लियामेंट के बीच कई शताब्दियों तक घोर संघर्ष चलने पर उसका निर्माण हुआ है। वहां दो दलों की प्रणाली, जिसको वहां के लोगों की समझौते की भावना और उनकी सार्वभौम-सत्ता की भावना ने बनाये रखा है, घर कर गई है। लेकिन देशी रियासतों की विलक्षणता यह है कि राज्य का अध्यक्ष व्यक्तिगत रूप से लोगों का प्रत्यक्षतया प्रतिनिधित्व करता है और इसलिये उनसे उसका सम्बन्ध चुने हुए अस्थायी प्रतिनिधियों की तुलना में अधिक, प्राकृतिक और स्थायी होता है। वह राज्य का सर्वोच्च अधिकारी ही नहीं होता, बल्कि लोगों की सार्वभौम-सत्ता का भी प्रतिनिधित्व करता है। इसलिये ऐसे विधान में राज्य के अध्यक्ष को किसी कानून का समर्थन करने या उसे रोक लेने का ही अधिकार प्राप्त नहीं होता, बल्कि उसे अपनी प्रबंधकारिणी को बनाने या उसे खत्म करने या लोगों की

आवश्यकता के अनुसार सरकार के संचालन में रद्दोबदल करने का भी विशेषाधिकार प्राप्त होता है।''

देशी रियासतों में सार्वभौम-सत्ता कहां स्थित है? इस सम्बन्ध में ये दो विचार-धाराएं एक समान हैं परम्परा से जो राजा होता है, उसके बारे में यह समझा जाता है कि उसे लोगों की सार्वभौम-सत्ता प्राप्त है। व्यवहार में यह देखा गया है कि वह कई सूरतों में सार्वभौम-सत्ता के अधिकारों को प्रयोग में लाने में लोगों के हितों की उपेक्षा करता है।

मंत्रिमंडल ने कहा था कि जब विधान-परिषद् अपना काम समाप्त कर लेगी और हिन्दुस्तान के लिये एक विधान बन जायेगा तो श्रीमान्, सम्राट की सरकार पार्लियामेंट से यह सिफारिश करेगी कि हिन्दुस्तान के लोगों को सर्वोच्च अधिकार सौंपने के लिये जो कार्यवाही भी जरूरी हो, की जाये। वर्तमान दशा में भी ब्रिटिश भारत के प्रांतों और देशी रियासतों का एक ही केन्द्र है, जिसको ऐसे विषय दिये गये हैं, जो चाहे एक सत्ता हो या संघसत्ता, केन्द्र के ही विषय होंगे। मोटे तौर पर भारत की सार्वभौम-सत्ता-सम्बन्धी अधिकार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऐक्ट सन् 1935 ई. के आदेशों के आधीन श्रीमान् सम्राट को प्राप्त हैं। ये अधिकार ब्रिटिश भारत और देशी रियासतों में भी प्रयोग में लाये जा सकते हैं, यद्यपि इनकी सीमा और इनको प्रयोग में लाने का तरीका दोनों जगह भिन्न-भिन्न है। इसलिये इस देश में ब्रिटेन को जो सर्वोच्च अधिकार प्राप्त हैं, उनको सौंपने का सम्बन्ध सारे भारत से है। इसलिये जब मंत्रिमंडल ने हिन्दुस्तान के लोगों को अधिकार सौंपने की बात कही, तो उनके ध्यान में देशी रियासतों के लोग भी होंगे। *(वाह वाह)* इसलिये मंत्रिमंडल के इस वक्तव्य से कि अंग्रेजी सत्ता के हटने पर रियासतें स्वतंत्र हो जायेंगी। यह समझना चाहिए कि देशी रियासतों में श्रीमान् सम्राट को जो सार्वभौम अधिकार प्राप्त हैं, वे उन रियासतों के लोगों को सौंप दिये जायेंगे।

इस सम्बन्ध में ध्यान देने की बात यह है कि रियासतों की संधियों और सर्वोच्च अधिकारों के मेमोरेंडम, 20 मई सन् 1946 ई. के पैराग्राफ 5 में, जिसमें सर्वोच्च अधिकारों को खत्म करने का उल्लेख है, सब जगह सिर्फ देशी रियासतों के बारे में कहा गया है और केवल शासकों का कहीं भी उल्लेख नहीं है। लेकिन रियासतों के शासकों का इस समय तक यही दावा रहा है कि रियासतों में उनके सार्वभौम

[माननीय दीवान बहादुर सर एन. गोपालस्वामी आयंगर]

अधिकार है, सिवाय इसके कि वे ब्रिटिश सम्राट की सर्वोच्च सत्ता द्वारा सीमित कर दिये गये हैं। राजनैतिक दृष्टि से उनको ये सीमाएं स्वीकार ही करनी पड़ीं। ब्रिटिश सम्राट की सर्वोच्च सत्ता का अर्थ है, एक-सत्ता। दूसरे शब्दों में इसका अर्थ है कि कुछ मामलों में ब्रिटिश सम्राट के सर्वोच्च और अंतिम अधिकार होंगे। यह दावा करते समय रियासतों के शासकों ने बराबर इसकी उपेक्षा की है कि वहां के लोगों के भी सर्वोच्च अधिकार हैं। जिस परिधि में उन्होंने अपने सर्वोच्च अधिकार माने हैं, उसमें उनका दावा है कि उनके कानून बनाने व विधान बनाने के भी अधिकार हैं और यदि कुछ रियासतों के लोग अपने प्रतिनिधियों द्वारा कुछ वैधानिक अधिकारों को प्रयोग में लाते हैं, तो वे उनको उनके शासकों ने उपहार के रूप में दिये हैं।

अब रियासतों के शासकों और वहां के लोगों के बीच के ये सम्बन्ध उस विचारधारा के अनुरूप नहीं हैं, जो एक ऐसी विधान-परिषद् के विधान-निर्माण में निहित है जो कि लोगों के प्रतिनिधियों की सभा है और वह भी चूंकि यह समझा गया है कि लोगों को ही विधान बनाने का अधिकार है। जब श्रीमान् सम्राट भारतीयों को अधिकार सौंपेंगे, तो रियासतों के लोग तथाकथित ब्रिटिश भारत के लोगों के साथ उन अधिकारों को प्रयोग में ला सकेंगे, जो अखिल भारतीय संघ-सरकार के कर्त्तव्यों के बारे में होंगे। प्रांतों के जो कर्त्तव्य होंगे, उनके सम्बन्ध में सर्वोच्च अधिकार प्रांतों के प्रतिनिधियों के और समूहों में यदि कोई लोग हों तो उन लोगों के होंगे जिनको कि प्रांतों ने अपने कर्त्तव्य सौंपे हो; यह काफी स्पष्ट है।

जिस प्रस्ताव पर इस समय विचार हो रहा है, उसके अनुसार केन्द्र को जो अधिकार नहीं सौंपे गये हैं, उनके सम्बन्ध में देशी रियासतों का वही स्थान होगा, जो प्रांतीय अधिकारों के सम्बन्ध में प्रांतों का होगा; यानी वह इस पर जोर देता है कि सार्वभौम-सत्ता-सम्पन्न स्वतंत्र भारत के भूभाग होने के नाते देशी रियासतों को सारी शक्ति और अधिकार अपने यहां के लोगों से प्राप्त हैं। जैसे कि प्रांतों में यह शक्ति और अधिकार प्रांतों के लोगों से प्राप्त हैं यदि देशी रियासतों में संघ के कर्त्तव्यों के सम्बन्ध में अधिकार वहां के लोगों को दिये जायें और रियासतों के कर्त्तव्यों के सम्बन्ध में अधिकार वहां के शासकों को दिये जायें तो यह बहुत

ही अनियमित कार्यवाही होगी। विधान-परिषद् जब हिन्दुस्तान के लिये एक संघ-विधान बनायेगी, तो यह आवश्यक होगा कि जिन रियासतों के लिखित विधान हैं, उन्हें दुहराया जाये और यही प्रान्तों के विधानों के सम्बन्ध में करना होगा और जिन रियासतों के लिखित विधान नहीं हैं, उनके लिए नये विधान बनाने होंगे। यह सम्भव है कि इस काम को इस समय स्थगित कर दिया जाये और संघ-विधान में इसके लिये आदेश रख दिये जायें कि इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की जायेगी।

यदि विधान-परिषद् के रियासतों के प्रतिनिधि इससे सहमत हों, तो संघ-विधान में इसका आश्वासन दिया जा सकता है कि रियासतों की प्रादेशिक सीमायें वही रहेंगी, जो इस समय हैं; मगर शर्त यह है कि बाद को नियत तरीके से और रियासतों और दूसरे सम्बन्धित क्षेत्रों की सम्मति से उनकी सीमाओं में कोई परिवर्तन न किया जाये। किसी रियासत के विधान में, जिसे कि वहां के लोग अपने शासक से मिलकर बनायेंगे, रियासत के अध्यक्ष के सम्बन्ध में यह आदेश रखा जा सकता है कि वह उसी वंश का होगा, जिसे इस समय रियासत में राज्याधिकार है, और उसे परम्परागत उत्तराधिकार प्राप्त होगा और संघ-विधान में यह आदेश रखा जा सकता है कि यदि किसी रियासत के विधान में इस तरह का आदेश हो, तो उसमें हस्तक्षेप नहीं किया जायेगा। यद्यपि यह शर्त रखना जरूरी होगा कि किसी रियासत के लिखित विधान के दुहराने में या उसके लिए एक नया विधान बनाने में उसका उत्तराधिकार प्राप्त अध्यक्ष वैधानिक नरेश होगा, या निकट भविष्य में हो जायेगा, और वह एक ऐसी प्रबन्धकारिणी की अध्यक्षता करेगा, जो कि धारासभा के प्रति उत्तरदायी होगी और उस धारासभा के मेम्बर प्रजातंत्र के सिद्धांतों के अनुसार चुने जायेंगे।

अब श्रीमान्, प्रस्ताव के वाक्यखंड 4 के आदेशों पर जोर देने के लिये मैं सिर्फ एक बात और कहूंगा। कुछ रियासतों के लिखित विधानों में लगभग सभी में यह व्यवस्था है कि रियासत के सभी भूभागों की सरकार के अधिकार शासक के अधिकार हैं और वही उनका उन आदेशों के आधीन प्रयोग कर सकता है, जो शासक की आज्ञा से ही विधान में रखे गये हैं। शासकों के असीम सार्वभौम अधिकारों पर जोर डालने के लिये इन विधानों में यह आदेश भी है कि बिना विधान एक्ट या किसी दूसरे एक्ट के आशय के विपरीत जाते हुए कानून, प्रबन्ध

[माननीय दीवान बहादुर सर एन. गोपालस्वामी आयंगर]

और न्याय सम्बन्धी सब अधिकार शासक के हैं और हमेशा से रहे हैं और इस एक्ट के किसी आदेश से शासक के अपनी सत्ता से कानून बनाने, घोषणा करने, आज्ञा देने और नियम बनाने के अधिकारों पर कोई असर नहीं पड़ेगा और न ऐसा समझा जायेगा। रियासतों के विधानों में इस तरह के आदेश सर्वसत्ता सम्पन्न एकतंत्र के भग्नावशेष हैं और यह आवश्यक है कि उनको निकाल दिया जाये, और उनकी जगह इस आशय का आदेश रखा जाये कि सरकार के सब अधिकारों के सम्बन्ध में, चाहे वे कानून और प्रबन्ध के बारे में हों या न्याय के बारे में, यह समझा जायेगा कि वे लोगों से प्राप्त हैं और यह कि वे रियासत के ऐसे संचालकों द्वारा, जिनमें परम्परागत शासक भी सम्मिलित हैं, प्रयोग में लाए जायेंगे, जिनका लिखित विधान में उल्लेख होगा और वे उसी सीमा तक प्रयोग में लाए जायेंगे, जहां तक कि उस विधान में इस सम्बन्ध में व्यवस्था हो।

श्रीमान्, मैं समझता हूं कि मैं अपना समय खत्म कर चुका हूं। मैं अधिक समय नहीं लेना चाहता; लेकिन मुझे आशा है कि मैं यह दिखा सका हूं कि इस प्रस्ताव के वाक्यखंड 4 में रियासतों को शामिल करना कितना आवश्यक है। यह सच है कि जब तक इस असेम्बली में रियासतों के लोगों के प्रतिनिधि न आयें, वे वास्तव में यहां के काम में हाथ नहीं बंटा सकते और अपनी रियासतों के लिए व भारतीय संघ के लिए भी विधान बनाने में मदद नहीं दे सकते।

***सभापतिः** सवा बज चुका है। यह सभा अब कल सुबह ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित रहेगी।

इसके बाद असेम्बली की बैठक बृहस्पतिवार, 19 दिसम्बर, सन् 1946 ई. के ग्यारह बजे सुबह तक के लिए स्थगित हुई।